

सूचना का अधिकार अधिनियम,

2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – दस	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबन्धित हो।
मैनुअल – ग्यारह	सभी योजनओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

मैनुअल – बारह	सहायिकी कार्यक्रमों के निश्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि का ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।
मैनुअल – तेरह	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विषिष्टियाँ।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 4(1)(ख) के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी को संगठन/विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जो धारा 4(1)(ख) की उपधारा (ii) से (xvii) में उल्लिखित हैं, को प्रकाशित करना बाध्यकारी है, ताकि संगठन से सम्बन्धित सूचनाएं जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य हों। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शहरी विकास निदेशालय द्वारा 17 मैनुअल निम्नवत् प्रकाशित किये गये हैं:

मैनुअल – एक, दो, तीन और चार

मैनुअल – पांच (चार खण्डों में)

मैनुअल – छ; सात, आठ और नौ

मैनुअल – दस, ग्यारह, बारह और तेरह

मैनुअल – चौदह, पन्द्रह, सोलह और सत्रह

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड का गठन माह अगस्त 2001 में हुआ है। वर्तमान में शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न संवर्गों में 43 पद सूचित/आवंटित हैं, जिसके सापेक्ष में मात्र 19 अधिकारी/कर्मचारी निदेशालय में तैनात हैं। इसके बावजूद शहरी विकास

निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारियों ने अभिलेख और सूचनाओं के रख-रखाव में कठिन परिश्रम किया है जिसका समावेश 17 मैनुअल में किया गया है।

शहरी विकास निदेशालय के मैनुअल वर्ष 2006 तैयार करने में मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड और सूचना आयोग उत्तराखण्ड के अधिकारियों का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मैनुअल का प्रकाशन सम्भव हो पाया था।

मैनुअल संख्या पांच जिसमें शहरी विकास से सम्बन्धित अधिनियम, अधिसूचनाएं व शासनादेश प्रकाशित हैं, को मई 2011 तक अद्यतन करते हुए मैनुअल संख्या पांच की एक-एक प्रति राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय भेजी जा रही है ताकि जनता को वांछित सूचना स्थानीय निकाय में ही उपलब्ध हो सके।

शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल तैयार करने में निदेशालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने विशेष प्रयास व परिश्रम किया है। इसके लिए निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल माझे आयोग द्वारा वर्ष 2006 में अनुमोदित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 4 की उपधारा (2) में यह निर्देश है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अक्सर, स्वप्रेरणा से, जनता का नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़ा। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शहरी विकास निदेशालय द्वारा इन प्रकाशनों को नियमानुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहेगा। समस्त स्थानीय निकायों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने-अपने मैनुअल नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअलों को मई 2011 तक की सूचनाओं सहित द्वितीय संस्करण के रूप में अद्यतन किया जा रहा है।

(निधि मणि त्रिपाठी)

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड,

देहरादन

शहरी विकास विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

ऑउटकम बजट

वित्तीय (वर्ष 2011–12)

शहरी विकास विभाग



उत्तराखण्ड शासन

दिग्दर्शक एवं ऑउटकम बजट वित्तीय (वर्ष 2011–12)

शहरी विकास विभाग विभागीय दिग्दर्शक बजट

उत्तराखण्ड में शहरी विकास विभाग में नियंत्रणधीन एक नगर निगम, 32 नगर पालिका परिषदें एवं 30 नगर पंचायतें कुल 63 स्थानीय निकाय कार्यरत हैं। स्थानीय निकायों के अन्तर्गत राज्य में स्थित निकायों में जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ₹0 18.42 लाख है। स्थानीय निकायों के मुख्य रूप से अपने सीमान्तर्गत रहने वाले नागरिकों को 74वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप संविधान के 12वीं अनुसूची के अन्तर्गत दिये गये कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुविधायें उपलब्ध कराना है। जिसमें मुख्यतः सफाई व्यवस्था, पथप्रकाश, पार्किंग व्यवस्था, सीमा के

अन्तर्गत सङ्कों नालियों का निर्माण आदि है। 74वें संशोधन के अनुरूप वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में जनता द्वारा चुने गये स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधि कार्यरत है।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत शहरी विकास निदेशालय का संरचनात्मक ढाँचा निम्न प्रकार है :—

**शहरी विकास निदेशालय,उत्तराखण्ड में पुर्नगठन शासनादेश संख्या—211 / iv / (1) / 2010—176(सा0) / 2006 दिनांक 15—4—2010 ए
शासनादेश संख्या—640(1) / iv(1) / 2010—176(सा) / 2006 दिनांक 14—9—2010 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के सृजित पदों एवं उसके
सापेक्ष कार्यरत/रिक्तियों का विवरण (25—2—11की स्थिति)**

क्रम सं	संवर्ग/पदम	वेतनबैण्ड/ग्रेड वेतन	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	शासनादेशानुसार पदों को भरे जाने का प्राविधान/अम्बुक्ति
<u>प्रशासनिक सेवा संवर्ग</u>					
1	निदेशक(I.A.S.)	संवर्गानुसार	1	0	
2	अपर निदेशक (P.C.S.)	संवर्गानुसार	0	1	
3	उपनिदेशक	15600—3900 / 6600	2	0	वर्तमान में पालिका केन्द्रियित सेवा के अधिकारीगण पदोन्नति/स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यरत है।
4	सहायक निदेशक	15600—3900 / 5400	1	1	शासन द्वारा पालिका केन्द्रियित सेवा के अधिशासन अधिकारी को सहायक निदेशक के पद के सापेक्ष तैनात किया गया है।
	<u>तकनीकी सेल</u>				

5	समन्वयक अभियंत्रण)	अधिकतम अधिशासी अभियन्ता स्तर	0	1	संविदा पर आउटसोर्सिंग अथवा प्रतिनियुक्ति पर
6	अवरअभियंता (तकनीकी)	9300–34800 / 4200	0	1	संविदा पर आउटसोर्सिंग अथवा प्रतिनियुक्ति पर
7	सहायक निरीक्षक	5200–20200 / 2800	0	0	मृत संवर्ग इस पद को मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया है जबकि उ0प्र से इस पद पर आवंटित कार्मिक स्थगन पर है। कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

लेखा संगठन

8	लेखाधिकारी	संवर्गानुसार		1	0	वित्त एवं लेखा संवर्ग का पद।
9	लेखाकार	9300–34800 / 4200		1	0	सहायक लेखाकार पद चर पदोन्नति।
10	सहायक लेखाकार	5200–20200 / 2800		2	2	सीधी भर्ती द्वारा। चयन हेतु अधियाचन पत्र दिनांक 30–9–2010 को प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुडकी को प्रेषित कर दिया गया है।

सांख्यिकी सेल

11	अर्थ एवं संख्याधिकारी	नियोजन विभाग के संवर्गानुसार		0	1	नियोजन विभाग द्वारा नियुक्ति किया जायेगा। निदेशालय के पत्र सं.-771 / विविध-93 / 200 दिनांक 9–9–2010 द्वारा नियोजन विभाग से तैनाती / नियुक्ति का अनुरोध किया गया है।
----	-----------------------	------------------------------	--	----------	----------	---

12	सांख्यिकी सहायक	9300—3480 0 / 4200		0	1	नियोजन विभाग द्वारा नियुक्ति किया जायेगा। निदेशालय के पत्र सं.—771 / विविध—93 / 200 दिनांक 9—9—2010 द्वारा नियोजन विभाग से तैनाती / नियुक्ति का अनुरोध किया गया है।
मिनिस्ट्रियल संवर्ग						
13	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300—3480 0 / 4600		1	0	पदोन्नति द्वारा भरा गया है।
14	प्रशासनिक अधिकारी	9300—3480 0 / 4200		0	3	मुख्य सहायक की पदोन्नति से।
15	मुख्य सहायक	5200—2020 0 / 2800		0	3	प्रवर सहायक की पदोन्नति से। 02मुख्य सहायकों द्वारा उ0प्र0 से कर्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और स्थगन पर उ0प्र0 में ही कार्यरत है। पदोन्नति के रिक्त पदों को नियमानुसार भरा जाना विचाराधीन है।
16	प्रवर सहायक	5200—2020 0 / 2400		4	1	कनिष्ठ सहायक की पदोन्नति से। 01 प्रवर सहायक द्वारा उ0प्र0 से कर्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और स्थगन पर उ0प्र0 में ही कार्यरत है।
17	कनिष्ठ सहायक	5200—2020 0 / 1900		4	1	सीध भर्ती। 01कनिष्ठ सहायक द्वारा उ0प्र0 से कर्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और स्थगन पर उ0प्र0 में ही कार्यरत है।
18	आशुलिपि क स डाटा एन्स	5200—2020 0 / 2400		0	3	संविदा पर आउटसोर्सिंग

आपरेटर						
19	वाहन चालक।	5200—2020 0 / 1900		2	0	कार्यरत कार्मिकों की सेवा निवृत्ती या अन्यथा रिक्त होने पर मृत संवर्ग। तदोपरान्त संविदा पर आउटसोर्सिंग।
20	चपरासी / अनुसेवक	4400—7440 / 1300		5	0	कार्यरत कार्मिकों की सेवा निवृत्ती या अन्यथा रिक्त होने पर मृत संवर्ग, तदोपरान्त संविदा पर आउटसोर्सिंग। उ0प्र0 से आवंटित 02 कार्मिक उ0प्र में ही स्थगन पर कार्यरत हैं / कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। सृजित / रिक्त 03 पदों के विरुद्ध प्रान्तीय रक्षक दल के कार्मिक तैनात किये गये हैं।
	योगः			24	19	

नोट:-1— मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1260 / **XXX(2)** / 2010 दिनांक 07—09—2010 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में निदेशालय में उपरोक्तानुसार सृजित 02 पद सहायक लेखाकार का अधियाचन निदेशालय के पत्रांक 1113 / श0वि0नि0—विविध—92 / अधियाचन / 2010 दिनांक 30—09—2010 द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुडकी को पेषित किया जा चुका है।

2— वर्तमान के संचनात्मक ढांचे में सृजित आशुलिपिक सह डाटा एन्टी ऑपरेटर के 03 पदों को संविदा / आउटसोर्सिंग से माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत निदेशालय के पत्रांक 772 दिनांक 12—8—2010 द्वारा शासन से उक्त पदों को उपनगल के माध्यम से भरे जाने की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जो अभी तक प्रतिक्षित है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के संचनात्मक ढांचे के अनुसार सृजित अर्थ एवं सख्याधिकारी के 01 पद तथा सांख्यिकी सहायक के 01 पद पर नियोजन विभाग से यथाशीघ्र नियुक्ति / तैनाती करने का अनुरोध किया गया है। नियोजन विभाग के स्तर से नियुक्ति / तैनाती प्रतिक्षित है।


जे0एन0एन0यू0आर0एम0

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

1— (Urban Infrastructure and Governance)

यूआईजी

- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के लिए मिशन अवधि 2005–12 में कुल ₹0 205.34 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राविधानित की गयी थी। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त प्राविधानित धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् ₹0 20.5 करोड़ क्षमता विकास एवं O&M हेतु आरक्षित कर ली गयी है तथा यह धनराशि केन्द्र सरकार स्तर से व्यय की जायेगी। अतः फलस्वरूप राज्य को ₹0आई0जी0 के अन्तर्गत केन्द्रांश का आवंटन ₹0 184.84 करोड़ ही रह गया है।



- क्त आवंटन के सापेक्ष भारत सरकार से कुल लागत ₹0 233.73 करोड़ की 08 परियोजनाएं स्वीकृत करायी जा चुकी हैं। जिनमें केन्द्रांश ₹0 183.86 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार केन्द्र द्वारा राज्य के लिये प्राविधानित राशि का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

स्वीकृत

योजनाओं का विवरण निम्नवत् हैः—

(धनराशि करोड़ रूपये में)

स्वीकृत परियोजना वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत			अवमुक्त धनराशि	परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि	परियोजना समाप्त होने की तिथि	व्यय
		राज श (योज लाग का 2 प्रतिश)					

	जलापूर्ति, देहरादून/ 2007-08		14 0	52.5	दिसम्बर 2008	मई, 201 9	41.3	
	जलापूर्ति, हरिद्वार/ 2007-08		9.	44.4	दिसम्बर 2008	मई, 201 9	46.2	
	जलापूर्ति, नैनीताल/ 2007-08		1.	2.74	दिसम्बर 2008	अगस्त, 201 9	2.7	
	सॉलिड वे मैनेजमेंट, देहरादून/ 2008-09		4.	6.15	मई, 200 9	दिसम्बर, 2009	0.37	

	सॉलिड वे मैनेजमेंट, हरिद्वार / 2008-09	3.	4.18	दिसम्बर, 2008	मार्च, 2010	0.00	
	देहरादून चौराहों सुधार / 2008-09	5.	7.36	जनवरी, 2009	मार्च, 2011	7.36	
	हरिद्वार चौराहों सुधार / 2008-09	3.	5.01	दिसम्बर, 2008	जुलाई, 2011	4.01	
	सीवरेज सिस्टम, नैनीताल / 2008-09	3.	4.91	फरवरी, 2009	जनवरी, 2012	4.90	
	योग	4. 9	118.7			106.94	

नोट:-

उल्लेखनीय है

यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्राविधानित धनराशि ₹0 184.84 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है फिर भी देहरादून शहर की आवागमन समस्या के दृष्टिगत देहरादून नगर में 3 Under pass/subway की ₹0 10.28 करोड़ लागत की डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रस्तुत है। जिसका अप्राईजल हो चुका है तथा भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

स्टूम्लेस पैकेज

• मिशन टाउन देहरादून के लिये 100 करोड़ तथा हरिद्वार एवं नैनीताल के लिये क्रमशः 50–50 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राविधानित की गयी थी। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त प्राविधानित धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् ₹0 20.00 करोड़ क्षमता विकास एवं O&M हेतु आरक्षित कर ली गयी है तथा यह धनराशि केन्द्र सरकार स्तर से व्यय की जायेगी। अतः फलस्वरूप राज्य को स्टूम्लेस पैकेज के अन्तर्गत केन्द्रांश का आवंटन ₹0 180.00 करोड़ ही रह गया है।

- उक्त आवंटन
के सापेक्ष भारत सरकार से कुल लागत ₹0 165.79 करोड़ की 04 परियोजनायें स्वीकृत करायी जा चुकी हैं। जिनमें केन्द्रांश ₹0 132.63 करोड़ सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को ₹0 44.34 करोड़ केन्द्रांश की 02 परियोजनायें प्रेषित की जा चुकी हैं जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है।
● स्वीकृत योजना
का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत परियोजना /	स्वीकृत परियोजना लागत	अवमुक्त	परि		
--	--------------------	-----------------------	---------	-----	--	--

	वर्ष	केन्द्रांश (योजना लागत क 80 प्रतिशत)	राज्या (योजन लागत का 20 प्रतिशत)	कुल परियोज ा लागत	धनराशि	योजन ा प्रारम्भ होने की तिथि		
	सीवरेज सिस्ट देहरादून / 2008 09	43.7	10.	54.	13.6	फर री, 200		➤ न्ति कि तथ का ➤ S

सीवरेज सिस्ट
देहरादून फेस-2
2009-10

50.2

12.

62.

14.4

फर
री,
2010

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट
नेनीताल/
2010-11

7.4

1.

9.

2.3

जू
2010

योग

93.9

23.

11
4

28.1

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में अपरिहार्य कारणों से निरस्त की गयी स्वीकृत परियोजना का विवरण
(धनराशि करोड़ रुपये में)

सं	स्वीकृत परियोजना / क्र	स्वीकृत परियोजना लागत				अवकृत धनराशि की तिथि	अवकृत	व्यय	
		केन्द्र श (योजना लागत का 8 प्रतिशत)	राज्य श (योजना लागत का 2 प्रतिशत)	कुल परियोजना लागत					
-	चैनेलाइजेशन आफ स्क हरिद्वार/ 2010-11	31	7.	39.					परियो

परियोजनाये जो भारत सरकार में प्रस्तुत की गयी तथा जिनका अप्रेजल हो चुका है/अप्रेजल किया जा रहा है

परियोजनाये जिनका अप्रेजल हो चुका है:-

(a) हरिद्वार में सीवरेज (लाल मन्दिर एवं कनखल एरिया) की दो डी०पी०आर० रु० 26.98 करोड़ का अप्रेजल भारत सरकार की एजेन्सी द्वारा कराया जा चुका है। प्रश्नगत् डी०पी०आर० की कुल लागत रु० 26.98 करोड़ में रु० 21.58 केन्द्रांश राशि सम्मिलित है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है।

परियोजना जिसका अप्रेजल अन्तिम चरण मे है:-

(a) नैनीताल में सड़क के चौड़ीकरण/पार्किंग की रु० 30.96 करोड लागत की दो डी०पी०आर० भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है जिनका अप्राईजल किया जा रहा है। प्रश्नगत् डी०पी०आर० की कुल लागत रु० 31.00 करोड़ में रु० 24.76 केन्द्रांश राशि सम्मिलित है।

भारत सरकार में स्वीकृति हेतु लम्बित 02 डी०पी०आर० मे केन्द्रांश की कुल धनराशि 46.32 करोड़ है तथा देहरादून व हरिद्वार नगर के लिये स्वीकृत परियोजनाओं की केन्द्रांश राशि रु० 125.18 करोड़ है। इस प्रकार स्टूम्लस पैकेज के अन्तर्गत कुल उपलब्ध केन्द्रांश धनराशि रु० 180.00 करोड़ के सापेक्ष रु० 178.96 करोड़ की परियोजनाये भारत सरकार को प्रेषित करते हुये लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

सिटी बस सर्विस के लिये पैकेज

मिशन शहरों

• देहरादून हेतु 60, हरिद्वार हेतु 60 तथा नैनीताल हेतु 25 बसों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 27.18 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रु० 13.59 करोड़ कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अवमुक्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा सभी 145 बसों को प्राप्त कर लिया गया है एवं जिसका संचालन प्रारम्भ हो गया है। 145 बसों की कुल लागत मूल्य रु० 19.10 करोड़ के सापेक्ष रु० 13.55 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

करोड़ रुपये में

	स्वीकृत परियोजना / वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत		रुपये क्रमांक	टिप्पणी
		केन्द्रीय (योजना लागत का 80 प्रतिशत)	राज्याधीन (योजना लागत का 20 प्रतिशत)		
	सिटी बस सर्विस, 2008-09	9.1	2.2		➤ 45 बसे प्राप्त हो गयी जिनका संचाल उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा किया जारहा है।
	सिटी बस सर्विस, 2008-09	2.3	0.5		
	सिटी बस, सर्विस 2008-09	10.3	2.5		

2—

एमटी (Urban Infrastructure Scheme for Small and Medium Towns)

- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत नॉन मिशन शहरों के लिए मिशन अवधि 2005–12 में कुल ₹0 46.07 करोड़ की राशि क्रेन्द्राश के रूप में प्राविधानित की गयी थी।
- उक्त आवंटन के सापेक्ष भारत सरकार से कुल लागत ₹0 61.73 करोड़ की 01 परियोजना स्वीकृत करायी जा चुकी है। जिनमें केन्द्रांश ₹0 49.39 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार केन्द्र द्वारा राज्य के लिये प्राविधानित राशि का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

(धनराशि करोड़ रूपये में)

स्वीकृत परियोजना / वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत		परियोजना समाप्त होने की तिथि	टिप्पणी
	केन्द्र या (योजना का लागत प्रतिशत)	राज्य (योजना लागत का 20 प्रतिशत)		

	सीव ज सिस्ट मसूरी / 2008 09	49 39	12. 4					म र्च, 20	➤ कि0मी0 पाईप बिछा का कार्य पूर्ण एवं 2 कि0मी0 पाईप लाई बिछाने का कार्य प्रगति पर। ➤ TP के लिये टेंडर प्रक्रिया अन्तिम चरण।
	योर	49 3	12.						

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनायें

बीएसयूपी (Basic Services to the Urban Poor)

- योजनान्तर्गत
चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के लिए मिशन अवधि 2005–12 में भारत सरकार द्वारा कुल रु0 97.84 करोड़ का केन्द्रांश स्वीकृत है।
- पूर्व मे भारत सरकार द्वारा कुल केन्द्रांश रु0 27.97 करोड़ की परियोजनाये स्वीकृत थी।



माननीय

मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2010 की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार अवशेष केन्द्रांश रु0 65.27 करोड़ के सापेक्ष एक विशेष अभियान चलाते हुये कुल रु0 49.89 करोड़ की धनराशि की डी०पी०आर० भारत सरकार को माह फरवरी, 2010 में प्रेषित की गयी जिनमें केन्द्रांश धनराशि रु0 37.30 करोड़ है।



कुल केन्द्रांश

रु0 97.84 करोड़ के सापेक्ष अब तक कुल केन्द्रांश रु0 65.27 करोड़ की परियोजनाये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है मिशन शहरो देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार द्वारा डी०पी०आर० उपलब्ध न कराये जाने पर, अवशेष केन्द्रांश धनराशि रु0 32.57 करोड़ को भारत सरकार से विशेष अनुरोध करते हुये आई०एच०एस०डी०पी० परियोजनाओं हेतु उक्त केन्द्रांश को स्थानान्तरित कराया गया।

इस प्रकार कुल उपलब्ध केन्द्रांश धनराशि रु0 65.27 करोड़ के सापेक्ष रु0 65.27 करोड़ की परियोजनाये भारत सरकार से स्वीकृत कराते हुये शत्-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

पूर्व मे स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत परियोजना लागत		अवम् त किए		टिप्पणी
--	------------------	-----------------------	--	------------	--	---------

राम मन्दि
कुष्ठ आश्र
देहरादून



4 मकान का कार्य पूर्ण तथा अन्य 13 मकानों में लिंग
स्तर तक कार्य पूर्ण।

शांति कु
रोग आश्र
देहरादून

- 8 मकानों में कार्य पूर्ण तथा सीवरेज एवं सैप्टिक टैंक का कार्य पूर्ण।
- मुदायिक भवन में प्लास्टर का कार्य प्रगति पर।

रोटरी कु
रोग आश्र
देहरादून

- 4 मे से 22 मकानों में छत तक कार्य पूर्ण तथा सैप्टिक टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है।

चकशाह
नगर, देहरादू

- 3 फरवरी, 2010 को कार्यादेश जारी।
- गर निगम को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश।

पाण्डेवाला,
हरिद्वार

- 6 ब्लॉक जिनमें प्रत्येक ब्लॉक में 16 आवास बनने हैं ब्लॉक में तृतीय तल की छत डाली जा चुकी है। ब्लॉक में द्वितीय तल की छत डाली जा चुकी है। ब्लॉक में प्लिन्थ स्तर तक कार्य पूर्ण, 03 ब्लॉक चिनाई का कार्य प्रगति पर हैं एवं नाला निर्माण का प्रगति पर है।

दुर्गापुर,
नैनीताल

➤
पार्यदायी संस्था पी0डब्लू0डी0 द्वारा बाउन्डी वॉल निर्माण
कार्य आरम्भ।

योग

स्वीकृत परियोजना
लागत

अवमुक्त
किश्त

टिप्पणी

कार्योदेश दिनांक 18 जनवरी, 2009 करे दिया गया है
किन्तु स्थलीय विवाद के कारण कार्य विलम्बित हुआ
विवाद सुलझाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा उन दरों पर
कार्य में असमर्थता व्यक्त की गयी जिस कारण पुनः निविदायें आमंत्रित की गयी। पुनः आमंत्रित न्युनतम निविदा 24.20 प्रतिशत अधिक होने पर निविदा का वर्तमान दरों पर आंकलन कराया जा रहा है।

परियोजना में भूमि विवाद होने के कारण दो वर्ष बाद काफी प्रयासों के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं। उक्त परियोजनाओं को निरस्त करने हेतु शासन को प्रेषित किया गया है।

योग

वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् हैः—

(धनराशि करोड़ रुपये में)


स्वीकृत	स्वीकृत परियोजना लागत	नि	अवमुक्त किश्त	परियोजना	टिप्पणी
---------	-----------------------	----	---------------	----------	---------

परियोजना	कुल परियोजना लागत	मंत्र होम वार्ता भवन की संख्या	धनराशि	समाप्त होने की तिथि
रामनगर मिलिन बस्टी, देहरादून	1159	24	2.9	सितम्बर, 2011
निरंजन पुर, ब्रह्मपुरी, फेज-1, देहरादून	11	20	2.79	सितम्बर, 2011
निरंजन पुर, ब्रह्मपुरी, फेज-2, देहरादून	1667	41	4.17	नवम्बर, 2011
नारायण नगर, नैनीताल	1049	11	2.62	सितम्बर, 2011

योग		4 8	0	12.4			
-----	--	--------	---	------	--	--	--

आईएचएसडीपी (Integrated Housing and Slum Development Program)

- योजनान्तर्गत मिशन अवधि 2005–12 में कुल रु. 63.58 करोड़ का केन्द्रांश भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।
- बी.एस.यू.पी. में उपलब्ध धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण केन्द्रांश की अवशेष रु. 32.57 करोड़ धनराशि को आई.एच.एस.डी.पी. में पुनर्विनियोजित किया गया। अतः योजनान्तर्गत अब कुल रु. 96.15 करोड़ का केन्द्रांश उपलब्ध है।
- पूर्व में भारत सरकार द्वारा कुल केन्द्रांश रु0 2.91 करोड़ की परियोजनाये स्वीकृत थी।
- कुल 90.57 करोड़ केन्द्रांश धनराशि की परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।
- अननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2010 की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार अवशेष केन्द्रांश रु0 60.57 करोड़ के सापेक्ष एक विशेष अभियान चलाते हुये कुल रु0 155.40 करोड़ की धनराशि की डी0पी0आर0 भारत सरकार को माह फरवरी, 2010 में प्रेषित की गयी जिनमें केन्द्रांश धनराशि रु0 87.66 करोड़ है। बी0एस0यू0पी0 योजना से कुल रु0 32.57 करोड़ केन्द्रांश धनराशि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत स्थानान्तरित की गयी इस प्रकार योजनान्तर्गत कुल रु0 96.15 करोड़ केन्द्रांश धनराशि उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष कुल रु0 90.57 करोड़ केन्द्रांश धनराशि की परियोजनाये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त शेष धनराशि रु0 5.64 करोड़ क्षमता विकास एवं O&M हेतु आरक्षित कर ली गयी है तथा यह धनराशि केन्द्र सरकार स्तर से व्यय की जायेगी।



COMMUNITY CENTRE AT KEWAT MOHALLA
UNDER IHSDP SCHEME AT
SRINAGAR GARHWAL

इस प्रकार कुल उपलब्ध केन्द्रांश धनराशि ₹0 90.57 करोड़ के सापेक्ष ₹0 90.57 करोड़ की परियोजनाये भारत सरकार से स्वीकृत कराते हुये शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

पूर्व मे स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि

करोड़ रुपये में)

		स्वीकृत परियोजना लाग		निर्मित होने वाले भवनों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त धनराशि		परियोजना समाप्त होने की तिथि
		कु परि जन लाग	कु परि जन लाग				
		3		5		0.66	अगस्त, 2010
		5		17		2.20	मार्च, 2010

भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं की माह मार्च, 2010 में सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित सी०एस०एम०सी० की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। जिनका विवरण निम्नवत् है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण


(धनराशि करोड़ रुपये में)

स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत परियोजना लागत			अवमुक्त प्रथम किश्त	परियोजना समाप्त होने वाली तिथि	टिप्पणी
	कुल परियोजना लागत	म	रु			
महुआबरा	9.25	१०	००	म र्च २०१०	अगस्त, 2011	72 मकान निमार्णधीन 30 पूर्ण।
महुआड़ागंज	11.8	१०	००	म र्च २०१०	अगस्त, 2011	187 मकान निमार्णधीन 20 पूर्ण।
दिनेशर	11.7	१०	००	म र्च	अगस्त,	153 मकान निमार्णधीन 15 पूर्ण।

					2010			2011	
	काशीपुर			11.9	मंच 2010			अगस्त, 2011	223 मकान निमार्णधीन
	लालकुआ			3.59	मंच 2010			अगस्त, 2011	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	पिथौरागढ़			10.9	मंच 2010			अगस्त, 2011	126 मकान निमार्णधीन 12 पूर्ण।
	कालाबगी			10.4	जन 2010			अगस्त, 2011	169 मकान निमार्णधीन 12 पूर्ण।
	किच्छि			5.63	अगस्त, 2010			अगस्त, 2011	65 मकान निमार्णधीन 9 पूर्ण।
	चम्पावत			3.81	अगस्त, 2010			अगस्त, 2011	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	मसूरी			5.10	जुलाय 2010			अगस्त, 2011	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	अल्मोड़ा			8.33	जुलाय 2010			अगस्त, 2011	25 मकान निमार्णधीन 33 पूर्ण।
	जसपुर (फेस-1)			6.30	सितम्बर 2010			अगस्त, 2011	15 मकान निमार्णधीन
	जसपुर			1.57	सितम्बर 2010			अगस्त, 2011	33 मकान


	(फेस-2)					तम र, 201 0			स्त्र 2011	निर्माणाधीन
	लण्ठौर (फेस-1)			10.1		ि तम र, 201 0			अग स्त, 2011	12 मकान निर्माणाधीन
	लण्ठौर (फेस-2)			2.58		ि तम र, 201 0			अग स्त, 2011	82 मकान निर्माणाधीन 15 पूर्ण
	हल्द्वान			13.4		फ वरी 201 1			अग स्त, 2011	15 मकान निर्माणाधीन
	हल्द्वान — काठगो दाम			11.8		फ वरी 201 1			अग स्त, 2011	20 मकान निर्माणाधीन
	विकास नगर			3.34		ि तम र, 201 0			अग स्त, 2011	26 मकान का काय निर्माणाधीन
	मंगलौ			13.4		फ वरी 201 1			अग स्त, 2011	33 मकान निर्माणाधीन
योग				155. 2						

जैवनर्नर्युआरोपण परियोजना के अन्तर्गत प्रगतिशील कार्यों के छायाचित्र






HARIDWAR
BHPATWALA
OVERHEAD TANK




HARIDWAR BHOPAT WALA
INFILTRATION WELL





BSUP- Shati Kusth Ashram, Dehradun. Project Cost: Rs 1.37 Cr.



BSUP- Pandey Wala, Haridwar. Project Cost: Rs 4.34 Cr.



IHSDP Photographs

Photo of Construction Activities at Pauri
Project Cost Rs: 4.52 Cr.



Photo of Construction Activities at Srinagar
Project Cost Rs.: 1.33 Cr.

IHSDP Photographs



बिन्दु संख्या :-5

शहरी विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनागत मद में प्राविधान और स्वीकृतियों की स्थिति तथा व्यय विवरण

(अनुपूरक सहित)

(धनराशि लाख रु.)

क्र सं	अनुदान सं0–13, 30 एवं 31 , लेखा शीर्षक /योजना	प्रस्तावित परिव्यय	आय-व्य क में योजनावाप्राविधान	स्वीकृति	व्यय विवरण
1	2217–03–191–01–0101–20 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायतित)	81.9	67.7	30.3	10
2	2217–03–800–01–0102–20 कम लागत के व्यवितरण शौचालय (केन्द्र सहायतित)	53.1	147.6	0.0	0
3	2217–03–191–03–0302–42 मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	485.0	43.0	0.0	0
4	2217–03–191–03–0303–20 (UA-URIF) उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि	500.0	125.0	0.0	0

	2217-03-191-03-0305-20 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	1862.0	820.7	154.6	73
5	2217-03-191-03-0308-20 संकमण शील क्षेत्रों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	25.0	0.0	0.0	0
6	2217-03-191-03-0309-20 व 42 नगरीय क्षेत्रों में सार्वभौम रोजगार योजना	22.5	18.1	0.0	0
7	2217-191-97-9701-16 (बाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11724.	11506.	2669.	3003
8	2217-03-800-01-0105-20 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM) (केन्द्र सहायतित)	21402.	18772.	311.9	0
9	2217-03-191-01-0102-20 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार (IHSDP) (केन्द्र सहायतित)	4344.0	5729.6	4393.	1350
10	2217-03-800-01-0104-42 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण UIDSSMT	1363.7	3536.2	0.0	0
11	2217-001-08-42 व 16 परियोजनाओं की प्रारंभिक तैयारियां एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु	100.0	45.4	45.4	0
12	2217-03-191-03-0306-42 कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था	0.0	0.0	0.0	0
13	2217-03-088-04-22 कंप्युटराईजेशन एण्ड जी.आई.एस.	150.0	25.0	0.0	0
14	2217-80-8..-01-0107-20 हरिद्वारा कुंभ मेला हेतु अवस्थापना विकास	0.0	1500.0	0.0	0
15	2217-03-800-01-0106-20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP) (NURM अन्तर्गत केन्द्र सहायतित)	1968.9	4461.0	1305.	90
16	2217-04-001-02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद	0.0	19.5	19.5	17
17	2217-80-800-03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान	0.0	173.3	173.3	163
18	2217-80-800-06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान	0.0	13.3	13.3	0
19	2217-80-800-05 नगर पालिका परिषद, भवाली को अनुदान	0.0	50.0	50.0	25
20	कुल योग	44082.	47054.	9168.	4732

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा संचालित योजनाएँ :-

1— शहरी रोजगार योजना

स्वर्ण जयंती

केन्द्र

पुरोनिधानित इस योजनान्तर्गत संषोधित दिषा—निर्देश के अनुसार वर्ष 2010–11 में केन्द्रांश तथा राज्यांश का अनुपात 90:10 है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹ 546.34 लाख की धनराषि आवंटित की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश ₹ 0 546.34 लाख के सापेक्ष राज्यांश ₹ 0 60.70 लाख की धनराषि अवमुक्त की गयी है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना निम्नवत् है :—

रोजगार योजना :—

1— स्वतः

इसके

अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगार एवं आंषिक रूप से बेरोजगार व्यक्ति को अपना निजी व्यवसाय की व्यवस्था हेतु अधिकतम ₹ 0 2,00,000 /— तक की परियोजना लागत के सापेक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण/नगर निकाय द्वारा 25 प्रतिष्ठत अनुदान (अधिकतम राषि 50,000 /—) दिये जाने का प्राविधान है, जबकि 05 प्रतिष्ठत अंषदान लाभार्थी को भी देना आवश्यक है।

वित्तीय

वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य ₹ 0 316.80 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 792 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक ₹ 0 208.55 लाख धनराषि व्यय कर 698 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

रोजगार प्रषिक्षण कार्यक्रम :—

2— स्वतः

इस

योजना के अंतर्गत निर्धन पात्र लाभार्थियों को आवष्यकतानुसार संबंधित रोजगार में प्रषिक्षण दिलाये जाने का प्राविधान है। जिसकी व्यवस्था डूडा/नगर निकाय द्वारा आई0टी0आई0/राजकीय संस्थान सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से (मास्टर क्राफ्ट मैन की सहायता से) की जाती है। प्रषिक्षण की अवधि तीन से छः माह होती है। जिसमें कम से कम 300 घण्टे प्रषिक्षण होना अनिवार्य है।

योजनान्तर्गत

शहरी गरीबों को विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत प्रषिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य ₹ 0 290.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 2900 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष ₹ 0 43.18 लाख धनराषि व्यय कर 1598 लाभार्थियों को माह फरवरी, 2011 तक प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा शेष लाभार्थियों का प्रषिक्षण का कार्य माह मार्च 2011 तक पूर्ण हो जायेगा।

मजदूरी योजना :-

योजनान्तर्गत मलिन बस्ती वासियों को जन—मूलभूत आवधकतायें जैसे :— सड़क/नाली, पेयजल, सामुदायिक केन्द्र, नाला/सीवर, स्ट्रीट लाईट, सामुदायिक शौचालय आदि का कार्य कराये जाने का प्राविधान है। इन कार्यों के माध्यम से बेरोजगार निर्धन को मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मलिन बस्तियों में सड़क, नाली, खड़जा आदि का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रु0 277.97 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 74056 मानवदिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक रु0 219.97 लाख धनराषि व्यय कर 80940 मानवदिवस सृजित किये जा चुके हैं।

थ्रिप्ट एण्ड

क्रेडिट योजना :-

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत नगरीय निर्धन महिलाओं में बचत की आदर पैदा करने के उद्देश्य से उनकी बचत-ऋण समितियों का गठन कराये जाने का प्राविधान है, जिसमें वे आम सहमति से बचत द्वारा एकत्रित धनराषि में से अपनी छोटी-छोटी आवधकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सके। इन समूहों को एक वर्ष तक क्रियाशील रहने के पश्चात् बचत की गयी धनराषि के समकक्ष (अधिकतर प्रति सदस्य एक हजार रुपये तक) मैचिंग ग्राण्ट प्रदान की जाती है। ताकि समूहों के सषक्तिकरण के साथ-साथ उन्हें रोजगार परक कार्यक्रमों से जोड़ते हुए दीर्घकाल में स्वावलम्बी बनाया जा सके। योजनान्तर्गत 10 से 25 महिलाओं तक से समूह का गठन किये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रु0 43.75 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 175 समूह निर्धारित किये गये हैं जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2011 तक रु0 3.83 लाख धनराषि व्यय कर 40 समूहों का गठन किया जा चुका है।

कम लागत

के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना (आई०एल०सी०एस०) :-

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना आरम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचाल में परिवर्तित करना तथा शौचालय रहित घरों में शौचालय का निर्माण करना है।

योजनान्तर्गत केन्द्रांश 75 प्रतिष्ठत, राज्यांश 15 प्रतिष्ठत एवं लाभार्थी अंषदान 10 प्रतिष्ठत निर्धारित है। सर्वेक्षण में 06 नगर निकायों क्रमांक देहरादून, मंगलौर, रुड़की, हल्द्वानी, चमोली एवं रुद्रपुर के लिए कुल 1613 यूनिट शुष्क शौचालय पाये गये। भारत सरकार द्वारा उक्त 1613 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु कुल रु0 1.63 करोड़ की डी०पी०आर० स्वीकृत की गयी है। भारत

सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹0 123.00 लाख अवमुक्त किया गया है और राज्यांश ₹0 24.60 लाख अवमुक्त किया गया है। योजनान्तर्गत कुल 1204 यूनिट शौचालयों पर निर्माण पूर्ण हो चुका है। नगर निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत 761 यूनिट शौचालय के सापेक्ष 409 यूनिट शौचालयों का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं कर लिया गया है।

**Investment Program Management Unit
Uttarakhand Urban Sector Development Investment Program
Government of Uttarakhand**
New ISBT Complex, Hardwar By-Pass, Majra, Dehradun
Telephone +91-135-2643894, Tele-fax +91-135-2643895
Email: uusdip@gmail.com

उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तृत विवरण (ए0डी0बी0)

Loan No-2410:IND

1—एशियन विकास बैंक (ए0डी0बी0) सहायतित परियोजनायें :—

मूलभूत बेहतर शहरी संरचना व सेवाओं की आवश्यकताओं की प्रति व उचित प्रबन्धन प्रदान कर क्षेत्र की सामाजिक, अर्थिक व गरीबी कम करने की दिशा में सहयोगी है। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक (ADB) ने नगरीय विकास की भूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड नगरीय विकास निवेश कार्यक्रम के लिए लगभग 1400 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2—कार्यक्रम के उद्देश्य :

कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

•भारत सरकार के विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना।

•प्रदेश की समाजिक व आर्थिक क्षेत्रीय विकास नीति के अनुसार स्थानीय विकास में सहयोग प्रदान करना

•पर्यावरण में सुधार व गरीबी उत्थान कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना

•शहरी विकास की योजनाओं का निर्धारण, कुशल प्रबंधन, गवर्नेंस इत्यादि सम्बन्धित विषयों पर क्षमतावर्धन।

1.योजना की निर्धारित अवधि—2008—2016

2.योजना की कुल लागत—लगभग ₹0 2000 करोड

3.ए0डी0बी0 ऋण की धनराशि—लगभग ₹0 1400 करोड

4.राज्य सरकार का अशंदान—लगभग ₹0 600 करोड

5.योजना के चरण [Tranches] —सम्पूर्ण योजना चार चरणों में विभाजित है। प्रत्येक चरण की अनुमानित लागत का विवरण निम्नवत है।

चरण सं0अवधि अनुमानित लागत ए0डी0बी0 ऋण राज्यांश

प्रथम2008—2012लगभग ₹0 344 करोडलगभग ₹0 240 करोड लगभग ₹0 104 करोड

द्वितीय2009—2013लगभग ₹0 312 करोड लगभग ₹0 220 करोड लगभग ₹0 92 करोड

तृतीय2010—2014लगभग ₹0 584 करोड लगभग ₹0 408 करोड लगभग ₹0 176 करोड

चतुर्थ2011—2016लगभग ₹0 760 करोड लगभग ₹0 532 करोड लगभग ₹0 228 करोड

योग लगभग₹0 2000 करोड₹0 1400 करोड₹0 600 करोड

3— योजना में सम्मिलित नगर/स्थान तथा चरणवार कराये जाने वाले कार्य—

योजना के अन्तर्गत 31 नगरों/स्थानों का चयन किया गया है। प्रत्येक चरण [tranch] में सम्मिलित नगरों/स्थानों तथा वहां पर कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नांकित है –

ट्रॉच – 1

कार्य	नगर/स्थान का नाम
वाटर सप्लाई	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल

सीवरेज	देहरादून
--------	----------

ट्रॉच – 2

वाटर सप्लाई	देहरादून, नैनीताल, रुद्रपुर
-------------	-----------------------------

सीवरेज	रुद्रपुर
--------	----------

मलिन बस्त	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर
सुधार	

ट्रॉच – 3

वाटर सप्लाई	रुड़की, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, गोपेष्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी, काशीपुर, किछ्णा, रामनगर
सीवरेज	रुड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी, काशीपुर, किछ्णा, रामनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट।

ट्रॉच – 4

शहरी सड़क तथ	रुड़की, नई टिहरी, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, काशीपुर, अल्मो
--------------	--

यातायात सुधार ए

बागेष्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी

ठोस अपषिष्ट प्रबंधन

ठोस अपषिष्ट

हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट, जोशीमठ, रुड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनथ, मसूरी

प्रबंधन

कोटद्वार, मंगलौर, बाजपुर, रामनगर, जसपुर, किंच्छा, सितारगंज।

(Solid Waste
Management)

प्रथम ट्रांच के प्रस्तावित कार्यों का विवरण तथा भौतिक स्थिति

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WSS01 D	<p>देहरादून स्थित कोर एरिया जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली क बिछाना।</p> <ul style="list-style-type: none">• कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 16.08.2010• कार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08.	39.15	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। लगभग 15 कि.मी. की लाईन डाल क्षेत्र में लक्ष्मी रोड पर बिछायी जा रही है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ● डस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन की लम्बाई 168 किमी। 		
	WSS02 D	<p>देहरादून में बॉदल नदी श्रोत से दिलाराम बाजार स्थित जल कल तक कच्चा पानी लाने हेतु पाईप लाईन बिछाना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 30.01.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 29.04.2011 ● पाईप लाईन की लम्बाई 14 किमी। 	11.35	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया लगभग 6.5 कि.मी. की लाईन बिछानी चुकी है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WSS03 D	<p>देहरादून में मौजूदा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में पम्प ईकाईयों एवं वाल्व बिजली के उपकरणों को बदलना तथा पम्प हाउसों का जीर्णोधार।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011 ● स्पिंग प्लान्टों की संख्या 52(38 S+14H) 	4.81	<p>पैकेज का अनुबन्ध गठित किया चुका है। Site investigation, shifting, office establishment confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी रिपोर्ट डेटा पर अनुमोदन दिया जा चुका है। 23 मोटरों की आपूर्ति की जा चुकी तथा इसी माह पम्पों की आपूर्ति पूरी जायेगी।</p>

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WSS04 D	<p>देहरादून नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु 15 नग स्टैटिक एवं मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05.06.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 04.12.2011 ● 0 मोबाइल जनरेटर एवं 5 स्टैटिक 	2.58	समस्त जनरेटरों की आपूर्ति पूर्ण हो गयी है। इन जनरेटरों का ट्रायाल किया जा रहा है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WWM0 1D	<p>देहरादून में 68mld के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का अभिकल्पन, आपूर्ति निर्माण, परीक्षण तथा चालू करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 27.03.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.03.2012 	57.42	एस.टी.पी. में 50मी. रिटेनिंग वॉल 120 मी. कम्पाउण्ड वॉल का किया जा चुका है। ब्लोअर रफाउण्डेशन का कार्य प्रगति पकॉन्फ्रैक्टर के द्वारा एस.बी.आर. टैंड्राइंग डिजाइन पी.आई.यू. को अहेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WWM0 2D	<p>देहरादून के कारगी क्षेत्र में सीवरेज लाईंनों का बिछाना, परीक्षण तथा चालू करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 16.08.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08.2012 ● हरादून के कारगी क्षेत्र में लगभग 80 किमी⁰ की सीवर लाईन(टंक तथा लेटरल) का बिछाना। 	39.22	500मीटर सीवर लाईन बिछायी जैसा है। कार्य प्रगति पर है।
	WWM0 3D	देहरादून में कारगी क्षेत्र के सीवर्ड क्षेत्र में सीवरेज लाईंनों का बिछाना, परीक्षण तथा चालू करना।	16.28	800 मीटर सीवर लाईन बिछायी जैसा है। कार्य प्रगति पर है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 09.08.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 08.08.2012 ● 'हरादून' के कारगी क्षेत्र में लगभग 40 किमी² की सीधर लाईन(लेटरल) का बिछाना। 		
	WSS01 H	<p>हरिद्वार में पम्पग्रहों एवं पम्प इकाई का नवीनीकरण।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011 	3.23	<p>पैकेज का अनुबन्ध गठित किया चुका है। Site investigation, shifting, office establishment confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी जांच की जा रही है।</p>

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<ul style="list-style-type: none"> ● पंग प्लान्टों की संख्या 33(23VT+8H+2S) 		एवं डेटा पर अनुमोदन दिया जा चु
	WSS01 N	<p>नैनीताल में पुराने पंगिंग यूनिट के बदलना तथा नये पंगिंग प्लान्ट/हाउस का निर्माण तथा न टयूबवेल का निर्माण।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.09.2010 ● 	11.70	<p>पैकेज का अनुबन्ध गठित किया चुका है तथा Site investigation, shifting, office establishment confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। QAP पूर्ण किया जा चुका है।</p>

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.09.2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नये पम्पिंग हाउस, 4 नये ट्यूबवैल, एवं इनफिलटेस्न वैल एवं 2 संपों का निर्माण। ● पम्पिंग स्टेषनों का जिर्णधार तथा पम्पिंग प्लान्टों की स्थापना। 		
	WSS02 N	<p>नैनीताल के आलसेन्ट जोन जलापूर्ति के अन्तर्गत वितरण/राइजिंग मैन के कार्य।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● नये पम्पिंग प्लान्ट की स्थापना। 	4.33	3.6 कि.मी. पाईपों की आपूर्ति चुकी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>.35 किमी0 राइजिंग मेन की स्थापना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● .2 किमी0 की डिस्ट्रिब्यूशन लाईन। ● 50 KL CWR की स्थापना। ● उसक softening प्लान्ट की स्थापना 		
	WSS03 N	<p>नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत न राइजिंग मेन का डालना तथा पुरान राइजिंग मेन एवं स्टील टैंको का बदलना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● 2 किमी0 राइजिंग मेन का बदलना। ● पुराने स्टील टैंको का बदला 	17.63	400 मी. पाईप लाईन बिछाया जा रहा है। 5 किमी. के पाईप तथा 100 टन स्पेषल्स की आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है। स्टील टैंकों के निर्माण हेतु मैट्रियो खरीद की जा रही है तथा इसके उप पर कार्य प्रारम्भ कर लिया जारी रखा जा रहा है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>जाना(60-535KL) </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4 Electro Chlorinator(2 mld each) की खरीद ● 5 Electro Magenetic Flow meter की खरीद 		
	WSS04 N	<p>नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत जलाषयों तथा स्प्रिंग कलेक्टिंग चैम्बर का निर्माण </p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● 	5.27	स्नो व्यू पर एक जलाषय का प्रारम्भ हो चुका है तथा अन्य जलाषयों का निर्माण का कार्य इसी माह प्रारम्भिक रूप से लिया जायेगा।

<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	<p>1 RCC CWR(250-900KL) की स्थापना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सिंग कलोकिटिंग चैम्बरों का निर्माण। 		
	<p>कुल योग</p>	212.97	

ट्रैन्च – 1 के प्रस्तावित अन्य कार्यों का विवरण

1	देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल की जी.आई.एस. प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग	1.45	आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट तैयार है तथा इसके निविदायें आमंत्रण का कार्य मार्च, 2011 कर लिया जायेगा।
2	कैपेसिटी बिल्डिंग		

		(i) फाईनेंसिंग एवं इंस्टीट्यूषनल सुधार	7.90	<ul style="list-style-type: none"> ● अपट् म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स मैनुअल तैयार कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। ● अपट् म्यूनिसिपल एकट तैयार कर लिया गया है। ● 4th CAA के आधार पर Devolution Plan तैयार किया जा चुका है जिसके क्रियान्वयन पर शीघ्र ही प्रयास किया जायेगा। ● न्य रिफार्म से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर हैं।
		(ii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट जागरूकता	2.25	एन.जी.ओ. का चयन कार्य जल्द ही पूर्ण किया जायेगा।
		(iii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट स्टेट्जी एण्ड प्लानिंग	1.38	राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा आख्या कार्य प्रगति पर है।
		(iv) मलिन बस्ती सुधार	0.47	<ul style="list-style-type: none"> ● राज्य स्तरीय सेंसस सर्वेक्षण पूर्व किया जा चुका है तथा डाटा ऐन्ट्री कार्य प्रगति पर है। ● राज्य मलिन बस्ती नीति का प्रथम स्वरूप शासन को प्रेषित किया जा चुका है। ● राज्य मलिन बस्ती परिभाषा एवं मानकों का स्वरूप शासन को प्रेषित किया गया जिसके अनुसार शासनादेश जारी किया जा चुका है।
		(v) ट्रेनिंग एवं स्टडी टूर	2.31	चालू वर्ष के लिए ट्रेनिंग कैलेण्डर तैयार किया गया है। कर्नाटक के शहरी विकास परियोजना के स्टडीर टूर के लिए पी.एम.जे./पी.आई.यू. से अधिकारियों का भ्रमण अप्रैल 2011 में प्रस्तावित है।

पूर्व मे स्वीकृत परियोजनाओ का विवरण

(धनराशि

करोड़ रुपये में)

		स्वीकृत परियोजना लाग		निर्मित होने वाले भवनों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त		परियोजना समाप्त होने की तिथि
		कु परि जन लाग	परि जन लाग		धनराशि	धनराशि	
		3		5	0.66		अगस्त, 2010
		5		17	2.20		मार्च, 2010

भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं की माह मार्च, 2010 में सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित सी०एस०एम०सी० की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। जिनका विवरण निम्नवत् है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण


(धनराशि करोड़ रुपये में)

स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत परियोजना लागत			अवमुक्त प्रथम किश्त	परियोजना समाप्त होने की तिथि	टिप्पणी
	कुल परियोजना लागत	म	रु			
महुआ बाबा	9.25	१०	२०१०	मार्च २०१०	अगस्त, २०११	72 मकान निमार्णधीन 30 पूर्ण।
महुआ डागंज	11.8	१०	२०१०	मार्च २०१०	अगस्त, २०११	187 मकान निमार्णधीन 20 पूर्ण।
दिनेश	11.7	१०	२०१०	मार्च २०१०	अगस्त, २०११	153 मकान

	र				र्च 201 0			स्त, 2011	निर्माणाधीन 15 पूर्ण।
	काशीपुर			11.9	मर्च 201 0			अगस्त, 2011	223 मकान निर्माणाधीन
	लालकुआ			3.59	मर्च 201 0			अगस्त, 2011	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	पिथौरागढ़			10.9	मर्च 201 0			अगस्त, 2011	126 मकान निर्माणाधीन 12 पूर्ण।
	कालाहगी			10.4	जून 201 0			अगस्त, 2011	169 मकान निर्माणाधीन 12 पूर्ण।
	किछि			5.63	अगस्त 201 0			अगस्त, 2011	65 मकान निर्माणाधीन 9 पूर्ण।
	चम्पावत			3.81	अगस्त 201 0			अगस्त, 2011	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	मसूरी			5.10	जुलाई 201 0			अगस्त, 2011	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	अल्मोड़ा			8.33	जुलाई 201 0			अगस्त, 2011	25 मकान निर्माणाधीन 33 पूर्ण।
	जसपुर (फेस-1)			6.30	वित्तमंगल 201 0			अगस्त, 2011	15 मकान निर्माणाधीन


	जसपुर (फेस-2)		1.57		रि तम र, 201 0		अग स्त, 2011	33 मकान निर्माणाधीन
	लण्ठोर (फेस-1)		10.1		रि तम र, 201 0		अग स्त, 2011	12 मकान निर्माणाधीन
	लण्ठोर (फेस-2)		2.58		रि तम र, 201 0		अग स्त, 2011	82 मकान निर्माणाधीन 15 पूर्ण
	हल्द्वान		13.4		फ वरी 201 1		अग स्त, 2011	15 मकान निर्माणाधीन
	हल्द्वान — काठग दाम		11.8		फ वरी 201 1		अग स्त, 2011	20 मकान निर्माणाधीन
	विकास नगर		3.34		रि तम र, 201 0		अग स्त, 2011	26 मकान का काय निर्माणाधीन
	मंगलौ		13.4		फ वरी 201 1		अग स्त, 2011	33 मकान निर्माणाधीन
योग			155. 2					

जैन युआरएमो परियोजना के अन्तर्गत प्रगतिशील कार्यों के छायाचित्र






HARIDWAR
BHPATWALA
OVERHEAD TANK




HARIDWAR BHOPAT WALA
INFILTRATION WELL





BSUP- Shati Kusth Ashram, Dehradun. Project Cost: Rs 1.37 Cr.



BSUP- Pandey Wala, Haridwar. Project Cost: Rs 4.34 Cr.



IHSDP Photographs

Photo of Construction Activities at Pauri
Project Cost Rs: 4.52 Cr.



IHSDP Photographs

Photo of Construction Activities at Srinagar
Project Cost Rs.: 1.33 Cr.



बिन्दु संख्या :-5

शहरी विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनागत मद में प्राविधान और स्वीकृतियों की स्थिति तथा व्यय विवरण

(अनुपूरक सहित)

(धनराशि लाख रु.)

क्र सं	अनुदान सं0–13, 30 एवं 31 , लेखा शीर्षक /योजना	प्रस्तावित परिव्यय	आय-व्य क में योजनावाप्राविधान	स्वीकृति	व्यय विवरण
1	2217–03–191–01–0101–20 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायतित)	81.9	67.7	30.3	10
2	2217–03–800–01–0102–20 कम लागत के व्यवितरण शौचालय (केन्द्र सहायतित)	53.1	147.6	0.0	0
3	2217–03–191–03–0302–42 मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	485.0	43.0	0.0	0
4	2217–03–191–03–0303–20 (UA-URIF) उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि	500.0	125.0	0.0	0

	2217-03-191-03-0305-20 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	1862.0	820.7	154.6	73
5	2217-03-191-03-0308-20 संकमण शील क्षेत्रों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	25.0	0.0	0.0	0
6	2217-03-191-03-0309-20 व 42 नगरीय क्षेत्रों में सार्वभौम रोजगार योजना	22.5	18.1	0.0	0
7	2217-191-97-9701-16 (बाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11724.	11506.	2669.	3003
8	2217-03-800-01-0105-20 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM) (केन्द्र सहायतित)	21402.	18772.	311.9	0
9	2217-03-191-01-0102-20 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार (IHSDP) (केन्द्र सहायतित)	4344.0	5729.6	4393.	1350
10	2217-03-800-01-0104-42 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण UIDSSMT	1363.7	3536.2	0.0	0
11	2217-001-08-42 व 16 परियोजनाओं की प्रारंभिक तैयारियां एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु	100.0	45.4	45.4	0
12	2217-03-191-03-0306-42 कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था	0.0	0.0	0.0	0
13	2217-03-088-04-22 कंप्युटराईजेशन एण्ड जी.आई.एस.	150.0	25.0	0.0	0
14	2217-80-8..-01-0107-20 हरिद्वारा कुंभ मेला हेतु अवस्थापना विकास	0.0	1500.0	0.0	0
15	2217-03-800-01-0106-20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP) (NURM अन्तर्गत केन्द्र सहायतित)	1968.9	4461.0	1305.	90
16	2217-04-001-02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद	0.0	19.5	19.5	17
17	2217-80-800-03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान	0.0	173.3	173.3	163
18	2217-80-800-06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान	0.0	13.3	13.3	0
19	2217-80-800-05 नगर पालिका परिषद, भवाली को अनुदान	0.0	50.0	50.0	25
20	कुल योग	44082.	47054.	9168.	4732

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा संचालित योजनाएँ :-

1— शहरी रोजगार योजना

स्वर्ण जयंती

केन्द्र

पुरोनिधानित इस योजनान्तर्गत संषोधित दिषा—निर्देश के अनुसार वर्ष 2010–11 में केन्द्रांश तथा राज्यांश का अनुपात 90:10 है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹ 546.34 लाख की धनराषि आवंटित की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश ₹ 0 546.34 लाख के सापेक्ष राज्यांश ₹ 0 60.70 लाख की धनराषि अवमुक्त की गयी है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजनगार योजना की उपयोजना निम्नवत् है :—

रोजगार योजना :—

1— स्वतः

इसके

अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगार एवं आंषिक रूप से बेरोजगार व्यक्ति को अपना निजी व्यवसाय की व्यवस्था हेतु अधिकतम ₹ 0 2,00,000 /— तक की परियोजना लागत के सापेक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण/नगर निकाय द्वारा 25 प्रतिष्ठत अनुदान (अधिकतम राषि 50,000 /—) दिये जाने का प्राविधान है, जबकि 05 प्रतिष्ठत अंषदान लाभार्थी को भी देना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य ₹ 0 316.80 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 792 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक ₹ 0 208.55 लाख धनराषि व्यय कर 698 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

रोजगार प्रषिक्षण कार्यक्रम :—

2— स्वतः

इस

योजना के अंतर्गत निर्धन पात्र लाभार्थियों को आवष्यकतानुसार संबंधित रोजगार में प्रषिक्षण दिलाये जाने का प्राविधान है। जिसकी व्यवस्था डूडा/नगर निकाय द्वारा आई0टी0आई0/राजकीय संस्थान सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से (मास्टर क्राफ्ट मैन की सहायता से) की जाती है। प्रषिक्षण की अवधि तीन से छः माह होती है। जिसमें कम से कम 300 घण्टे प्रषिक्षण होना अनिवार्य है।

योजनान्तर्गत
शहरी गरीबों को विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत प्रषिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य ₹ 0 290.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 2900 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष ₹ 0 43.18 लाख धनराषि व्यय कर 1598 लाभार्थियों को माह फरवरी, 2011 तक प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा शेष लाभार्थियों का प्रषिक्षण का कार्य माह मार्च 2011 तक पूर्ण हो जायेगा।

मजदूरी योजना :-

योजनान्तर्गत मलिन बस्ती वासियों को जन—मूलभूत आवधकतायें जैसे :— सड़क/नाली, पेयजल, सामुदायिक केन्द्र, नाला/सीवर, स्ट्रीट लाईट, सामुदायिक शौचालय आदि का कार्य कराये जाने का प्राविधान है। इन कार्यों के माध्यम से बेरोजगार निर्धन को मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मलिन बस्तियों में सड़क, नाली, खड़जा आदि का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रु0 277.97 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 74056 मानवदिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक रु0 219.97 लाख धनराषि व्यय कर 80940 मानवदिवस सृजित किये जा चुके हैं।

थ्रिप्ट एण्ड

क्रेडिट योजना :-

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत नगरीय निर्धन महिलाओं में बचत की आदर पैदा करने के उद्देश्य से उनकी बचत-ऋण समितियों का गठन कराये जाने का प्राविधान है, जिसमें वे आम सहमति से बचत द्वारा एकत्रित धनराषि में से अपनी छोटी-छोटी आवधकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सके। इन समूहों को एक वर्ष तक क्रियाशील रहने के पश्चात् बचत की गयी धनराषि के समकक्ष (अधिकतर प्रति सदस्य एक हजार रुपये तक) मैचिंग ग्राण्ट प्रदान की जाती है। ताकि समूहों के समर्कितकरण के साथ—साथ उन्हें रोजगार परक कार्यक्रमों से जोड़ते हुए दीर्घकाल में स्वावलम्बी बनाया जा सके। योजनान्तर्गत 10 से 25 महिलाओं तक से समूह का गठन किये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रु0 43.75 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 175 समूह निर्धारित किये गये हैं जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2011 तक रु0 3.83 लाख धनराषि व्यय कर 40 समूहों का गठन किया जा चुका है।

कम लागत

के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना (आई०एल०सी०एस०) :-

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना आरम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचाल में परिवर्तित करना तथा शौचालय रहित घरों में शौचालय का निर्माण करना है।

योजनान्तर्गत केन्द्रांश 75 प्रतिषत, राज्यांश 15 प्रतिषत एवं लाभार्थी अंषदान 10 प्रतिषत निर्धारित है। सर्वेक्षण में 06 नगर निकायों क्रमांक देहरादून, मंगलौर, रुड़की, हल्द्वानी, चमोली एवं रुद्रपुर के लिए कुल 1613 यूनिट शुष्क शौचालय पाये गये। भारत सरकार द्वारा उक्त 1613 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु कुल रु0 1.63 करोड़ की डी०पी०आर० स्वीकृत की गयी है। भारत

सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹0 123.00 लाख अवमुक्त किया गया है और राज्यांश ₹0 24.60 लाख अवमुक्त किया गया है। योजनान्तर्गत कुल 1204 यूनिट शौचालयों पर निर्माण पूर्ण हो चुका है। नगर निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत 761 यूनिट शौचालय के सापेक्ष 409 यूनिट शौचालयों का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं कर लिया गया है।

**Investment Program Management Unit
Uttarakhand Urban Sector Development Investment Program
Government of Uttarakhand**
New ISBT Complex, Hardwar By-Pass, Majra, Dehradun
Telephone +91-135-2643894, Tele-fax +91-135-2643895
Email: uusdip@gmail.com

उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तृत विवरण (ए0डी0बी0)

Loan No-2410:IND

1—एशियन विकास बैंक (ए0डी0बी0) सहायतित परियोजनायें :-

मूलभूत बेहतर शहरी संरचना व सेवाओं की आवश्यकताओं की प्रति व उचित प्रबन्धन प्रदान कर क्षेत्र की सामाजिक, अर्थिक व गरीबी कम करने की दिशा में सहयोगी है। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक (ADB) ने नगरीय विकास की भूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड नगरीय विकास निवेश कार्यक्रम के लिए लगभग 1400 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2—कार्यक्रम के उद्देश्य :

कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

- भारत सरकार के विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना।
- प्रदेश की समाजिक व आर्थिक क्षेत्रीय विकास नीति के अनुसार स्थानीय विकास में सहयोग प्रदान करना
- पर्यावरण में सुधार व गरीबी उत्थान कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना

• शहरी विकास की योजनाओं का निर्धारण, कुशल प्रबंधन, गवर्नेंस इत्यादि सम्बन्धित विषयों पर क्षमतावर्धन।

1. योजना की निर्धारित अवधि—2008–2016

2. योजना की कुल लागत—लगभग ₹0 2000 करोड़

3. ₹0.0001 ऋण की धनराशि—लगभग ₹0 1400 करोड़

4. राज्य सरकार का अशंदान—लगभग ₹0 600 करोड़

5. योजना के चरण [Tranches] — सम्पूर्ण योजना चार चरणों में विभाजित है। प्रत्येक चरण की अनुमानित लागत का विवरण निम्नवत है।

चरण सं0अवधि अनुमानित लागत ₹0.0001 ऋण राज्यांश

प्रथम 2008–2012 लगभग ₹0 344 करोड़ लगभग ₹0 240 करोड़ लगभग ₹0 104 करोड़

द्वितीय 2009–2013 लगभग ₹0 312 करोड़ लगभग ₹0 220 करोड़ लगभग ₹0 92 करोड़

तृतीय 2010–2014 लगभग ₹0 584 करोड़ लगभग ₹0 408 करोड़ लगभग ₹0 176 करोड़

चतुर्थ 2011–2016 लगभग ₹0 760 करोड़ लगभग ₹0 532 करोड़ लगभग ₹0 228 करोड़

योग लगभग ₹0 2000 करोड़ ₹0 1400 करोड़ ₹0 600 करोड़

3— योजना में सम्मिलित नगर/स्थान तथा चरणवार कराये जाने वाले कार्य—

योजना के अन्तर्गत 31 नगरों/स्थानों का चयन किया गया है। प्रत्येक चरण [tranch] में सम्मिलित नगरों/स्थानों तथा वहां पर कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नांकित है –

ट्रॉच – 1

कार्य	नगर/स्थान का नाम
वाटर सप्लाई	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल
सीवरेज	देहरादून

ट्रॉच – 2

वाटर सप्लाई	देहरादून, नैनीताल, रुद्रपुर
सीवरेज	रुद्रपुर
मलिन बस्ट	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर
सुधार	

ट्रॉच – 3

वाटर सप्लाई	रुड़की, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, गोपेष्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी, काशीपुर, किछ्छा, रामनगर
सीवरेज	रुड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी, काशीपुर, किछ्छा, रामनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट।

ट्रॉच – 4

शहरी सड़क तथा	रुड़की, नई टिहरी, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, काशीपुर, अल्मोड़ा
---------------	---

यातायात सुधार ए

बागेष्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी

ठोस अपषिष्ट प्रबंधन

ठोस अपषिष्ट

हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट, जोशीमठ, रुड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनथ, मसूरी

प्रबंधन

कोटद्वार, मंगलौर, बाजपुर, रामनगर, जसपुर, किंच्छा, सितारगंज।

(Solid Waste
Management)

प्रथम ट्रांच के प्रस्तावित कार्यों का विवरण तथा भौतिक स्थिति

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WSS01 D	<p>देहरादून स्थित कोर एरिया जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली का विचाना।</p> <ul style="list-style-type: none">• ये प्रारम्भ होने की तिथि 16.08.2010•	39.15	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसका लगभग 15 कि.मी. की लाईन डाली जा रही है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>कार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08.2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ● डस्टीब्यूषन पाईप लाइन की लम्बाई 168 किमी। 		
	WSS02 D	<p>देहरादून में बॉदल नदी श्रोत से दिलाराम बाजार स्थित जल कल तक कच्चा पानी लाने हेतु पाईप लाइन बिछाना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 30.01.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 29.04.2011 ● पाईप लाइन की लम्बाई 14 किमी। 	11.35	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया लगभग 6.5 कि.मी. की लाइन बिछाना चुकी है।

		<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित) कोड</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WSS03 D	<p>देहरादून में मौजूदा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में पम्प इंकाइर्यों एवं वाल्व बिजली के उपकरणों को बदलना तथा पम्प हाउसों का जीर्णोधार।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अर्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● अर्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011 ● मिंग प्लान्टों की संख्या 52(38 S+14H) 	4.81	<p>पैकेज का अनुबन्ध गठित किया चुका है। Site investigation, shifting, office establishing, confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी जिएवं डेटा पर अनुमोदन दिया जा चुका है। 23 मोटरों की आपूर्ति की जा चुकी है। इसी माह पम्पों की आपूर्ति पूरी जायेगी।</p>

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WSS04 D	<p>देहरादून नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु 15 नग स्टैटिक एवं मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05.06.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 04.12.2011 ● 0 मोबाइल जनरेटर एवं 5 स्टैटिक 	2.58	समस्त जनरेटरों की आपूर्ति पूर्ण हो गयी है। इन जनरेटरों का ट्रायाल किया जा रहा है।

		<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WWMO 1D		<p>देहरादून में 68mld के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का अभिकल्पन, आपूर्ति निर्माण, परीक्षण तथा चालू करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 27.03.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.03.2012 	57.42	<p>एस.टी.पी. में 50मी. रिटेनिंग वॉल 120 मी. कम्पाउण्ड वॉल का किया जा चुका है। ब्लोअर रफाउण्डेशन का कार्य प्रगति पकॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एस.बी.आर. टैंड्राइंग डिजाइन पी.आई.यू. को अहेतु उपलब्ध करायी जा रही है।</p>

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	WWM0 2D	<p>देहरादून के कारगी क्षेत्र में सीवरेज लाईनों का बिछाना, परीक्षण तथा चालू करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 16.08.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08.2012 ● हरादून के कारगी क्षेत्र में लगभग 80 किमी⁰ की सीवर लाईन(टंक तथा लेटरल) का बिछाना। 	39.22	500मीटर सीवर लाईन बिछायी जैसा है। कार्य प्रगति पर है।
	WWM0 3D	देहरादून में कारगी क्षेत्र के सीवर्ड क्षेत्र में सीवरेज लाईनों का बिछाना, परीक्षण तथा चालू करना।	16.28	800 मीटर सीवर लाईन बिछाया जूकी है। कार्य प्रगति पर है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 09.08.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 08.08.2012 ● 'हरादून' के कारगी क्षेत्र में लगभग 40 किमी² की सीधर लाईन(लेटरल) का बिछाना। 		
	WSS01 H	<p>हरिद्वार में पम्पग्रहों एवं पम्प इकाई का नवीनीकरण।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011 	3.23	<p>पैकेज का अनुबन्ध गठित किया चुका है। Site investigation, shifting, office establishment confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी जांच की जा रही है।</p>

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<ul style="list-style-type: none"> ● पंग प्लान्टों की संख्या 33(23VT+8H+2S) 		एवं डेटा पर अनुमोदन दिया जा चु
	WSS01 N	<p>नैनीताल में पुराने पंगिंग यूनिट के बदलना तथा नये पंगिंग प्लान्ट/हाउस का निर्माण तथा न टयूबवेल का निर्माण।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.09.2010 ● 	11.70	<p>पैकेज का अनुबन्ध गठित किया चुका है तथा Site investigation, shifting, office establishment confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। QAP पूर्ण किया जा चुका है।</p>

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.09.2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नये पम्पिंग हाउस, 4 नये ट्यूबवैल, एवं इनफिलटेस्न वैल एवं 2 संपों का निर्माण। ● पम्पिंग स्टेषनों का जिर्णधार तथा पम्पिंग प्लान्टों की स्थापना। 		
	WSS02 N	<p>नैनीताल के आलसेन्ट जोन जलापूर्ति के अन्तर्गत वितरण/राइजिंग मैन के कार्य।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● नये पम्पिंग प्लान्ट की स्थापना। 	4.33	3.6 कि.मी. पाईपों की आपूर्ति बचुकी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>.35 किमी0 राइजिंग मेन की स्थापना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● .2 किमी0 की डिस्ट्रिब्यूशन लाईन। ● 50 KL CWR की स्थापना। ● उसक softening प्लान्ट की स्थापना 		
	WSS03 N	<p>नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत न राइजिंग मेन का डालना तथा पुरान राइजिंग मेन एवं स्टील टैंको का बदलना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● 2 किमी0 राइजिंग मेन का बदलना। ● पुराने स्टील टैंको का बदला 	17.63	400 मी. पाईप लाईन बिछाया जा रहा है। 5 किमी. के पाईप तथा 100 टन स्पेषल्स की आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है। स्टील टैंकों के निर्माण हेतु मैट्रियो खरीद की जा रही है तथा इसके उप पर कार्य प्रारम्भ कर लिया जारी रखा जा रहा है।

	<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
		<p>जाना(60-535KL) </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4 Electro Chlorinator(2 mld each) की खरीद ● 5 Electro Magenetic Flow meter की खरीद 		
	WSS04 N	<p>नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत जलाषयों तथा स्प्रिंग कलेक्टिंग चैम्बर का निर्माण </p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● कार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● 	5.27	स्नो व्यू पर एक जलाषय का प्रारम्भ हो चुका है तथा अन्य जलाषयों का निर्माण का कार्य इसी माह प्रारम्भिक रूप से लिया जायेगा।

<u>पैकेज कोड</u>	<u>पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)</u>	<u>कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)</u>	<u>वर्तमान भौतिक स्थिति</u>
	<p>1 RCC CWR(250-900KL) की स्थापना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सिंग कलोकिटिंग चैम्बरों का निर्माण। 		
	<p>कुल योग</p>	212.97	

ट्रैन्च – 1 के प्रस्तावित अन्य कार्यों का विवरण

1	देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल की जी.आई.एस. प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग	1.45	आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट तैयार है तथा इसके निविदायें आमंत्रण का कार्य मार्च, 2011 कर लिया जायेगा।
2	कैपेसिटी बिल्डिंग		

		(i) फाईनेंसिंग एवं इंस्टीट्यूषनल सुधार	7.90	<ul style="list-style-type: none"> ● अपट् म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स मैनुअल तैयार कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। ● अपट् म्यूनिसिपल एकट तैयार कर लिया गया है। ● 4th CAA के आधार पर Devolution Plan तैयार किया जा चुका है जिसके क्रियान्वयन पर शीघ्र ही प्रयास किया जायेगा। ● न्य रिफार्म से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर हैं।
		(ii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट जागरूकता	2.25	एन.जी.ओ. का चयन कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा।
		(iii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट स्टेट्जी एण्ड प्लानिंग	1.38	राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा आख्या कार्य प्रगति पर है।
		(iv) मलिन बस्ती सुधार	0.47	<ul style="list-style-type: none"> ● राज्य स्तरीय सेंसस सर्वेक्षण पूर्व किया जा चुका है तथा डाटा ऐन्ट्री कार्य प्रगति पर है। ● राज्य मलिन बस्ती नीति का प्रथम स्वरूप शासन को प्रेषित किया जा चुका है। ● राज्य मलिन बस्ती परिभाषा एवं मानकों का स्वरूप शासन को प्रेषित किया गया जिसके अनुसार शासनादेश जारी किया जा चुका है।
		(v) ट्रेनिंग एवं स्टडी टूर	2.31	चालू वर्ष के लिए ट्रेनिंग कैलेण्डर तैयार कर लिया गया है। कर्नाटक के शहरी विकास परियोजना के स्टडीर टूर के लिए पी.एम.जे./पी.आई.यू. से अधिकारियों का भ्रमण अप्रैल 2011 में प्रस्तावित है।

द्वितीय ट्रांच के प्रस्तावित कार्यों का विवरण तथा भौतिक स्थिति

कोड		नुम्बर लाला तरुका ड़े	
WSS01 D	देहरादून में वाटर ऑप्टिमाईजेशन ए मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत राइजिंग मेन एवं फीड मेन का बिछाया जाना।	300	प्रस्तावित कार्यों से सम्बन्धित कन्सैट नो तैयार कर फरवरी 2010 में ए.डी.बी. को उपलब्ध करा दिये गए हैं। इन कार्यों की डी.पी.आर तैयार की जा रही हैं वर्तमान में सर्वेक्षण का पूर्ण हो चुका है डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वारा जमा करा दी गई तथा आई0पी0आई0यू0 द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।
WSS06 D	देहरादून में दिलाराम वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान एवं शहनशाही आश्रम वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान का नवीनीकरण एवं उच्चीकरण।	2500	प्रस्तावित कार्यों से सम्बन्धित कन्सैट नो तैयार कर फरवरी 2010 में ए.डी.बी. को उपलब्ध करा दिये गए हैं। इन कार्यों की डी.पी.आर तैयार की जा रही हैं वर्तमान में सर्वेक्षण का पूर्ण हो चुका है डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वारा जमा करा दी गई तथा आई0पी0आई0यू0 द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।
WSS07 D	देहरादून में 13 जोनों में जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली का बिछाना।	35	डी.पी.आर. पी.आई.यू. को अनुमोदन हेतु जमा की जा चुकी है।
WSS08 D	देहरादून में मॉसी फॉल से शहनशाही आश्रम तक रोंग वाटर मेन का बिछाया जाना एवं सॉफ्टनिंग प्लान्ट का संस्थापन।	200	डी.पी.आर. का विरचन भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।
WSS09 D	देहरादून के कोर एरिया में वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बिछाया जाना, टैस्टिंग एवं कमीशनिंग।	393	डी.पी.आर. पी.आई.यू. को अनुमोदन हेतु जमा की जा चुकी है।
WSS10 D	देहरादून के छुटे हुए एरिया में वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बिछाया जाना, टैस्टिंग एवं कमीशनिंग।	402	डी.पी.आर. पी.आई.यू. को अनुमोदन हेतु जमा की जा चुकी है।
WSS11 D	पम्पिंग स्टेषन्स में स्काडा सिस्टम का संस्थापन।	700	कॉन्सैट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया जा चुका है।
WSS12 D	देहरादून में घरेलू वाटर मीटर की सप्लाई एवं संस्थापन।	7300	कॉन्सैट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया जा चुका है।
WWM 4D	देहरादून के कारगी जोन के टी.एच.डी.सी. क्षेत्र में सीवर नेटवर्क सिस्टम का बिछाया जाना, टैस्टिंग एवं कमीशनिंग।	1393	डी.पी.आर. टेक्नीकल कमेटी के अनुमोदन हेतु तैयार है।

	WSS01 HD	हरिद्वार में स्काडा सिस्टम के अन्तर्गत ट्रूबॉल एवं अन्य पम्पिंग प्लान्ट्स का ऑटोमाइजेशन	7000	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया जा चुका है।
	WSS01 HD	हरिद्वार में घरेलू वाटर मीटर एवं ब्ल्क वाटर मीटर की सप्लाई एवं संस्थापन।	7000	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया जा चुका है।
	WSS01 RKE	रुड़की शहर के वाटर सप्लाई का बढ़ाया जाना एवं पुनर्गठन।	4100	ड्राफ्ट मास्टर प्लान अनुमोदन हेतु जमा कराया जा चुका है। डी.पी.आर. का विरचन अन्तिम चरणों में है।
	WWM1RKE	रुड़की शहर के वर्तमान सीवर नेटवर्क का नवीनीकरण एवं छुटे हुए क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क का बिछाया जाना।	15.0	डी.पी.आर. का विरचन अन्तिम चरणों में है।
	WWM2RKE	रुड़की शहर में 34 एम.एल.डी. सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	15.50	डी.पी.आर. का विरचन अन्तिम चरणों में है।
	WSS01 N	नैनीताल शहर में डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स का बिछाया जाना एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	3027	डी.पी.आर. का विरचन किया जा चुका है तथा अनुमोदन हेतु पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है।
	WSS01 N	नैनीताल में घरेलू वाटर मीटर एवं व्यावसायिक वाटर मीटर की सप्लाई एवं संस्थापन।	200	डी.पी.आर. का विरचन किया जा चुका है तथा अनुमोदन हेतु पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है।
	WSS01 N	नैनीताल हेतु सभी पम्पिंग प्लान्ट्स का जैस.एम. बेस्ड स्काडा सिस्टम द्वारा ऑटोमाइजेशन	500	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया जा चुका है। डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वारा जमा करा दी गई।
	WSS01 N	नैनीताल हेतु सॉफ्टनिंग प्लान्ट का डिजाइन संस्थापन एवं तत्सम्बन्धित कार्य	090	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया जा चुका है।
	WSS01 AM	अल्मोड़ा की वाटर सप्लाई का ऑप्टोमाइजेशन एवं पुनर्गठन।	150	मास्टर प्लान डी.एस.सी.द्वारा पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्या वांछित है। डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वारा जमा करा दी गई।
	WWM1RM	अल्मोड़ा के जोन 2 व 4 में सीवर लाईन का बिछाया जाना, पम्पिंग स्टेशन का निर्माण एवं उसकी राईजिंग मेन का बिछाया जाना।	750	मास्टर प्लान डी.एस.सी.द्वारा फरवरी माह तक पी.आई.यू. को जमा कराया जायेगा तथा डी.पी.आर.विरचन का कार्य मार्च तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
	WWM2A	अल्मोड़ा में 9.75 एम.एल.डी. कैपेसिटी वाली सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	975	डी.पी.आर.विरचन का कार्य मार्च माह तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
	WSS01HLD	हल्द्वानी में 15 ओवर हेड टैंक का निर्माण एवं उनकी राईजिंग मेन का बिछाया जाना।	245	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान तथा डी.पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WWM1HLD	हल्द्वानी में 10 एम.एल.डी. कैपेसिटी वाली सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	500	डी.एस.सी.द्वारा कॉन्सेप्ट रिपोर्ट तथा डी.पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है जिस पर

				आख्या वांछित है।
	WSS0 RN	रामनगर शहर के वाटर सप्लाई का बढ़ावा जाना एवं पुनर्गठन।	500	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WWM 1RN	रामनगर शहर के सीवरेज सिस्टम की नवीनीकरण।	200	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WWM 2RMR	रामनगर में 15 एम.एल.डी. कैपेसिटी वाली सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	1500	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WSS0 PT	पिथौरागढ़ शहर के वाटर सप्लाई का बढ़ावा जाना एवं पुनर्गठन।	500	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WWM 1PT	पिथौरागढ़ शहर ट्रंक एवं सीवरेज लाईन को बिछाया जाना।	400	डी.पी.आर. जमा कर दी गयी है।
	WWM PT	पिथौरागढ़ शहर में 2 नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	1200	डी.एस.सी.द्वारा कॉन्सेप्ट रिपोर्ट पी.आई.यू. वाला जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	कार्यों की कुल लागत		रु ग्र ग 982 00	

शहरी विकास विभाग



उत्तराखण्ड शासन

ऑउटकम बजट

वित्तीय (वर्ष 2011–12)

बिन्दु संख्या:- 1 विभाग के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण:-

संगठनात्मक ढांचा

1—शहरी विकास विभाग द्वारा नगर स्थानीय निकायों के साथ—साथ राज्य नगर अभिकरण द्वारा संचालित नगरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया जाता है।

2—शहरी विकास द्वारा निर्धारित नीतियों, निर्देशों का स्थानीय निकायों से अनुपालन सुनिश्चित कराना, समय—समय पर उनक अनुश्रवण करना। इसके अतिरिक्त नागर स्थानीय निकायों के केन्द्रियत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का रख—रखाव तथा सेवा नियमावली के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी शासन द्वारा प्रतिनिधायनिता अधिकारों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करना, स्थानीय निकायों को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग नगरीय अवस्थापना निधि आदि के लिये आवंटित अनुदानों के उपभोग पर भी नियन्त्रण करना। नागर निकायों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अधिनियमों/नियमों एवं उप नियमों का सम्यक् अनुश्रवण का कार्य भी किया जाता है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें

(A) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन की शुरुआत की गयी। मिशन की अवधि वर्ष 2005–06 से आरम्भ होकर 07 वर्ष की है। इस अवधि के दौरान शहरों का सुरिंधर विकास सुनिश्चित होगा। इस मिशन की चार मुख्य घटक हैं:—

1. मिशन शहरों के
लिये शहरी अवस्थापना विकास योजना (U.I.G)।
2. मिशन शहरों के
लिये बेसिक सर्विसेज अर्बन पुअर (BSUP)
3. नॉन मिशन
शहरों के लिये छोटे एवं मझौले शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (UIDSSMT)

शहरों के लिये इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवलपमेन्ट प्रोग्राम (IHSDP)

अवस्थापना विकासः— भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, में तीव्रगामि नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना है। जिसमें शहरी इंफास्ट्रक्चर में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति जैसे— जलापूर्ति, मलवेयन, और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरातत्व क्षेत्रों आदि के विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान देना।

योजना के अन्तर्गत सृजित परिस्पत्ति और परिसम्पत्ति प्रबन्ध के बीच प्रभावी सामन्जस्य स्थापित करना ताकि नगरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं के सही ढंग से रखरखाव के अलावा ये सेवाएं समय के साथ—साथ स्वपोशित भी बन सकें।

बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर :— भारत सरकार द्वारा संचालित इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित मिशन शहरों में उन स्लम वासियों, जिनके पास आश्रय नहीं है तथा जीर्ण—शीर्ण दशाओं में रहते हैं कि दशाओं में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हए लाभ इस परियोजना के अन्तर्गत मिलेगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, में स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसे—बेहतर आवास/समेकित विकास, /जलआपूर्ति— सफाईव्यवस्था, सहित, बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लमविहीन शहरों के लिये प्रयास करना है।

यूआईडीएसएसएमटी :— भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, को छोड़कर राज्य के अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू है। इसके द्वारा इन नगरों में तीव्रगामि नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना है। जिसमें शहरी इंफास्ट्रक्चर में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति जैसे— जलापूर्ति, मलवेयन, और ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरातत्व क्षेत्रों का आदि के विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान देना।

योजना के अन्तर्गत सृजित परिस्पत्ति और परिसम्पत्ति प्रबन्ध के बीच प्रभावी सांमजस्य स्थापित करना ताकि शहरी गरीबी हेतु नगरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं के सही ढंग से रखरखाव के अलावाये सेवाएं समय के साथ—साथ स्वपोशित भी बन सकें।

इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवलपमेन्ट प्रोग्राम :— भारत सरकार द्वारा संचालित यह परियोजना राज्य के चयनित मिशन शहरों को छोड़कर राज्य में अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू है। इस परियोजना के अन्तर्गत उन स्लम वासियों, जिनके पास आश्रय नहीं है तथा जीर्ण—शीर्ण दशाओं में रहते हैं कि दशाओं में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हुए, इस परियोजना के अन्तर्गत लाभ मिलेगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित शहरों में स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसे:-बेहतर आवास/समेकित विकास/जलआपूर्ति-सफाईव्यवस्था, सहित बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लविहीन शहरों के लिये प्रयास करना है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

यह एक केन्द्र पुरोधानित योजना है, जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात 90:10 है। संशोधित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

उद्देश्य

संशोधित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उद्देश्य इस प्रकार है:-

शहरी बेरोजगारों

अथवा अल्प रोजगार गरीबों को उनके भरण-पोषण के लिए सहायता मुहैया कराकर स्व-रोजगार उद्यम (व्यक्तिगत् या समूह) स्थापित करना अथवा मजदूरी रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके लाभप्रद रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबी उपशमन करना।

कौशल विकास

और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता करना ताकि शहरी गरीब, बाजार द्वारा दिए गए रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें अथवा स्व-रोजगार शुरू कर सकें।

घटक

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:-

शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (ऋण और सब्सिडी):-स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में लाभप्रद स्व-रोजगार लघु उद्यम स्थापित करने हेतु व्यक्तिगत् शहरी गरीब लाभार्थियों को सहायता मुहैया कराने पर बल दिया गया है।

लक्ष्य समूहः-शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (ऋण और सब्सिडी) में योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट गरीबी रेखा से नीचे की शहरी आबादी को लक्ष्य बनाया जायेगा।

यूएसईपी के अन्तर्गत वित्तपोषण पद्धति के ब्यौरे इस प्रकार है:-

अधिकतम अनुमेय यूनिट परियोजना लागत- 200,000/-₹0

अधिकतम अनुमेय सब्सिडी - परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, जो अधिकतम 50,000/-₹0

लाभार्थी अंशदान- परियोजना लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन राशि के रूप में कोई समर्थन अपेक्षित नहीं।

माह मई 2010 तक ₹0 1.95 लाख धनराशि व्यय कर 9 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) :- यह परियोजना शहरी गरीब महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिष्ठित है, जो व्यक्तिगत प्रयास के विपरीत, समूह में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने का निर्णय लेती है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिये, यूडब्ल्यूएसपी समूह में न्यूनतम 5 शहरी गरीब महिला शामिल होनी चाहिए। समूह उद्यम स्थापित करने के लिये यूडब्ल्यूएसपी दल रु0 3.00 लाख या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या 60,000 हजार की धनराशि दल के प्रति सदस्य के आधार पर, इनमें से जो भी न्यूनतम हो तो उस राशि के सब्सिडी के पात्र होगा। समूह को मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिष्ठत अंशदान नगद करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

शहरी महिला स्वयं-सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि):- शहरी महिला स्वयं-सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि) के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा एक स्वयं सहायता दल/थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाईटी के रूप में गठन किया जाता है तो उक्त समूह को कम से कम एक वर्ष कार्य करने के उपरान्त रु0 2000/- अधिकतम प्रति सदस्य की दर से रु0 25000/- की एक मुश्त अनुदान राशि आवर्ती निधि में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी-यूपी) (स्वेप-अप):- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में शहरी गरीबों के कौशल निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा ताकि वे स्व: रोजगार चलाने के साथ-साथ बेहतर वेतनभोगी रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सकें।

प्रशिक्षण हेतु औसत इकाई लागत 10,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक नहीं होगी, जिसमें मैटिरियल लागत, प्रशिक्षण शुल्क, टूल किट लागत, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य विविध खर्चे और प्रशिक्षणार्थी को दिया जाने वाला मासिक वजीफा शामिल है।

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी):- इस कार्यक्रम में शहरी निकायों के अधिकार क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लाभार्थियों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का प्रयोग करके उन्हें मजदूरी रोजगार मुहैया करवाने की अपेक्षा की गई है। ये परिसम्पत्तियां सामुदायिक अवसंरचना द्वारा निर्धारित कम्यूनिटि सेन्टर, वर्षा जल विकास, सड़कें, रात्री निवास, मिड-डेमील स्कीम के तहत प्राथमिक पाठशालाओं में किंचन शेड और अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे पार्क, ठोस कचरा प्रबन्धन व्यवस्था के रूप में हो सकती हैं।

एकीकृत कम लागत व्यक्तिगत षौचालय

उद्देश्य:-

स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्थिति के अनुरूप समुचित परिवर्तन करके (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय) तथा अधिसंरचनाओं सहित दो गड्ढे वाले जल वाही शौचालयों का निर्माण करके और जहां ईडब्ल्यूएस परिवारों के पास में कोई शौचालयों नहीं है व खुले में मल त्याग की प्रथा मौजूद है, वहां नए शौचालयों का निर्माण करके कम लागत की सफाई यूनिटों का निर्माण/परिवर्तन करना है। इससे कस्बे में समग्र सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा।

स्कीम में वित्तपोषण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :—

केन्द्रीय सब्सिडी 75: राज्य सब्सिडी 15: और लाभार्थी अंश 10:। लागत की अधिकतम ऊपरी सीमा भी अधिसंरचना सहित एक गर्त जलवाली व्यैक्तिक शौचालय की एक इकाई के लिए 10,000 रुपए होगी। (राज्यों के दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर) दुर्गम/पहाड़ी वर्ग में आने वाले राज्यों के लिए, प्रत्येक गर्त शुद्ध जल वाही शौचालयों के लिए 25: अतिरिक्त लागत की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना

योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जन शौचालयों, स्नानगृह एवं अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापना, डैनेज व्यवस्था, वर्षा जल दोहन, आपदा प्रबन्धन/निराकरण सम्बन्धी अवस्थापना, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं स्वीकृत की जाएगी।

अनुदान सीमा

स्वीकृत परियोजना के लिए निकाय का अंश 30 प्रतिशत तथा राज्यांश 70 प्रतिशत होगा।

मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार योजना

योजना के अन्तर्गत उन नगर निकायों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके द्वारा कूढ़ा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट का उपचार, अजैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्कीकरण एवं पुर्नउपयोग तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू-भरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वच्छता नीति में प्रावधानित हस्तक्षेपों द्वारा पूरे नगरीय क्षेत्र को खुला शौचमुक्त करने और समस्त शौचालयों को सुरक्षित प्रकृति के बनाने में सराहनीय कार्य किया जायेगा।

पुरस्कार राशि

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाली नगर निगम/नगर पालिका परिषद को क्रमशः रु0 50.00 लाख, 25.00 लाख तथा 10.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाली नगर पंचायत को क्रमशः रु0 25.00 लाख, 20.00 लाख तथा 10.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।

प0 दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना

योजनान्तर्गत निकाय की आय में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत पीपीपी मोड/वायबिलिटी गैप फण्डिंग के तहत पार्किंग, शापिंग काम्पलेक्स, पार्कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, स्लाटर हाउस, सामुदायिक भवन/ऑडिटोरियम, टाउन हाल के साथ-साथ ऐसी परियोजनायें जो स्थानीय भौगोलिक एवं जनसुविधाओं के दृष्टिगत अत्यन्त आवश्यकीय हो को वित्त पोषित किया जाएगा।

अनुदान सीमा

परियोजनायें, पी०पी०पी० / बी०ओ०टी० सिद्धान्त पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, पी.पी.पी. नीति एवं उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाई जायेंगी।

चयन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना एवं प० दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के बोर्ड से अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के चयन हेतु निम्न पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है :–

निदेशक, शहरी विकास की अध्यक्षता में गठित 'स्क्रीनिंग कमेटी' द्वारा उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों का चयन कर उसे संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा।

शासन स्तर पर गठित टी०ए०सी० द्वारा तकनीकी परीक्षण कर उपयुक्त प्रस्तावों को विभागीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

बिन्दु संख्या :-2

विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना (वर्ष 2011–12) के सम्बन्ध में सूचना

धनराशि लाख रु०

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	बजट		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट
		प्लान			

2217— 3—191— 01—010 —20 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायता)	यह एक केन्द्र पुरोधानित योजना है जिसमें केन्द्रीय और राज्यों का अनुपात 90:10 है संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिशा—निर्देश दिनांक अप्रैल, 200 से प्रभावी है उद्देश्य संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना उद्देश्य इस प्रकार है: • शहरी बेरोजगारों अथवा अतद रोजगार गरीब को उनकी भरण—पोषण के लिए सहायता मुहैरे कराकर	86.05	इस योजना के माध्यम से 792 शहरी बेरोजगारों व अपना निजी व्यवसाय स्थापित करने, 2100 लोगों को कौशल सुधारने और माध्यम से प्रशिक्षित करना।	इसके माध्यम से शहरी बेरोजगारों अपना निजी व्यवसाय स्थापित करना, कौशल सुधार के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान व स्वावलम्बी बनाना।	

स्व-रोजगार
उद्यम
(व्यक्तिगत् व
समूह) स्थापि
करना अथवा
मजदूरी
रोजगार शुरू
करने के लि
उन्हें प्रोत्साहि
करके लाभप्र
रोजगार
माध्यम
शहरी गरीब
उपशमन
करना।
• कौशल
विकास और
प्रशिक्षण
कार्यक्रमों
लिए सहायता
करना ताकि
शहरी गरीब
बाजार द्वारा
दिए गए
रोजगार
अवसर प्राप्त
कर सकें
अथवा
स्व-रोजगार
शुरू कर सकें

<p>2217—</p> <p>3—800—</p> <p>01—010—</p> <p>—20</p> <p>कम</p> <p>लागत व</p> <p>व्यक्तिगत</p> <p>शौचालय</p> <p>(केन्द्र</p> <p>सहायता</p> <p>)</p>	<p>स्कीम व</p> <p>उद्देश्य शह</p> <p>क्षत्रों</p> <p>स्थानीय स्थिरा</p> <p>के अनुरूप</p> <p>समुचित</p> <p>परिवर्तन कर</p> <p>(क्षेत्र विशिष्ट</p> <p>शौचालय) तथ</p> <p>आधिसंरचनाओं</p> <p>सहित व</p> <p>गड्ढे वा</p> <p>जल वा</p> <p>शौचालयों व</p> <p>निर्माण करना</p> <p>और जल</p> <p>ईडब्यूएस</p> <p>परिवारों</p> <p>पास में को</p> <p>शौचालयों नह</p> <p>है व खुले</p> <p>मल त्याग व</p> <p>प्रथा मौजूद</p> <p>वहां न</p> <p>शौचालयों व</p> <p>निर्माण करना</p> <p>कम लागत व</p> <p>सफाई यूनिट</p> <p>का</p> <p>निर्माण / परिव</p> <p>र्तन करना है</p> <p>इससे कर्षण</p> <p>समग्र सफा</p> <p>व्यवस्था</p> <p>सुधार आएगा</p>	<p>10.00</p>	<p>1613 शुष्क शौचालयों व</p> <p>जल प्रवाहित में परिवर्तित</p> <p>करना।</p>	<p>कम लागत की</p> <p>द्वारा शुष्क शौच</p> <p>को जल प्रवाहित</p> <p>परिवर्तित एंव शौच</p> <p>विहीन आवासों में</p> <p>प्रवाहित शौचालयों</p> <p>निर्माण</p> <p>स्वच्छतापूर्ण उ</p> <p>आधार उपलब्ध क</p>
--	---	--------------	--	--

	2217— 3—800— 01—010 —20 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NUR M) (केन्द्र सहायता)	भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य चयनित तीन मिशन शहर देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, तीव्रगामी नियोजित विकास व प्रोत्साहित करना जिसमें शहर इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षता तथा सेवा आपूर्ति जैसे:- जलापूर्ति, मलवेयन, और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़कों व निर्माण सुदृढ़ीकरण, पुरातत्व क्षेत्र आदि विकास प केन्द्रीभूत ध्या देना।		7500 00	इस परियोजना के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति सफाई, सीवरेज, ठोकरा प्रबन्धन, रोनेटवर्क, शहरी परिवहन सुधार व विकास करना देहरादून में 30 नलकूप (टूवैल) 44 जलाशय (ओवर हैड टैन्क) 30 टैन्क / सीडब्ल्यूआर) व निर्माण तथा 16 चौराहो व चोड़ीकरण, हरिद्वार में 2 नलकूपों (टूवैल) 0 जलाशयों (ओवर हैड टैन्क) तथा 12 चौराहो व निर्माण, नैनीताल 0 Infiltration Well का निर्माण 03 नलकूप (टूवैल) 02 उथरत (Shallow) नलकूप 01 गहरे (Deep) व निर्माण इसके अतिरिक्त देहरादून, हरिद्वार नैनीताल सीवरेज सिस्टम का सुधार किया जायेगा।	इस परियोजना देहरादून, हरिद्वार नैनीताल में निवासरत लोगों सुचारू पानी व्यवस्था तथा सी तथा ठोस अप प्रबन्धन का मिलेगा साथ यातायता के सु संचालन हेतु स का विकास होगा।
--	--	---	--	------------	--	--

	2217— 3—191— 01—010 —20 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार (IHSD P)(केन्द्र सहायति)	भारत सरकार द्वारा संचालित यह परियोजना राज्य चयनित मिशन शहरों के छोड़कर राज्य के अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लायी है। इस परियोजना अन्तर्गत उस स्लम वासियों जिनके पांच आश्रय नहीं तथा जीर्ण-शीर्ण दशाओं में रहते हैं निम्न दशाओं सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत लाभ मिलेगा।		6795 97	5032 भवनों का निर्माण कार्य किया जाना तथा स्लम विहीन नगरों का विकास किया जायेगा। जिससे शहरी गरीबों को लिये किफायती कीमतों पर टेन्योर की सुरक्षा, बेहतु आवास, जलापूर्ति, सफाई, सुविधा सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा का फायदा होगा।	19 नगर निकाय शहरी गरीबों के किफायती कीमतों पर टेन्योर की सुरक्षा, बेहतु आवास, जलापूर्ति, सुविधा सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा का फायदा होगा।
--	---	---	--	------------	---	---

मसूरी नगर में सीवरेज
सिस्टम व एसोटी०पी० क
निर्माण

100.0
0

2217-	भारत सरकार
3-800-	द्वारा संचालि
01-010	यह योजना
-42	उत्तराखण्ड़
नगरीय	राज्य
अवरथाएँ	चयनित ती
ना	मिशन शहर
सुविधाओं	देहरादून,
का	नैनीताल,
सुदृढ़ीकरण	हरिद्वार, व
UIDSS	छोड़कर राज
MT	के अन्य सभी
60	शहरों/कस्बों
प्रतिशत	के लिये लाभ
केन्द्र	है। इसके द्वारा
सहायता	इन नगरों
)	तीव्रगमि
	नियोजित
	विकास व
	प्रोत्साहित
	करना
	जिसमें शहर
	इंफ्रास्ट्रक्चर
	दक्षता तथा
	सेवा आपूर्ति
	जैसे:-
	जलापूर्ति,
	मलवेयन, और
	ठोस अवशिष्ट
	प्रबन्धन,
	सड़कों व
	निर्माण
	सुदृढ़ीकरण,
	पुरातत्व क्षेत्र
	का आदि

		विकास प केन्द्रीभूत ध्या देना ।		
2217— 3—800— 01—010 —20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP (NUR M के अन्तर्गत केन्द्र सहायति)	परियोजना अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य चयनित ती मिशन शह देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, स्लमवासियों को समुचि आश्रय तथ बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसे:-बेहतर आवास / समर्म कत विकास, / जल आपूर्ति— सफाईसुविधा, सहित बुनियादी अवस्थापना	1230 00	1799 भवनों का निर्मा कार्य किया जाना तथ स्लम विहीन नगरों का विकास किया जायेगा जिससे शहरी गरीबों का लिये किफायती कीमतों टेन्योर की सूरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई, सुविधा सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा का फायदा होगा।	तीन मिशन इन देहरादून, हरिद्वार के शहरी गरीबों किफायती कीमतों सूरक्षा, बेहतर जलापूर्ति, सफाई व बुनियादी सेवाओं और शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा करायी जायेगी।

		<p>सुविधाओं उपलब्ध कर हुए स्वार्थ एवं अनुकू शहरी पर्यावर वाले स्लविही शहरों के लि प्रयास करन है।</p>				
	2217— 3—191— 03—030 —42 मौहल्ल स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	<p>निकायों सृजित मौहल्ला स्वच्छता समिति व मानदेय भुगतान ए सफाई उपकरण क्रय हेतु दिव जायेगा।</p>	43.00	<p>मौहल्ला स्वच्छता समिति को भुगतान किया जायेगा एवं उपकरण क्रय जायेगा</p>		<p>मौहल्ला स्वच्छता समिति से कूड़ा एकत्रित उन्हें निश्चित तक पहुँचाया जा जिससे शहर में कम होगा।</p>
	2217— 3—191— 03—030 —20 (UA- URIF उत्तरांच ल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि	<p>योजना अन्तर्गत उ न्न नगर निकाय को प्रोत्साहनस्वरू प्रतिवर्ष पुरुस्कृत किय जाएगा, जिन द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट व</p>	118.5 0	<p>इसके अन्तर्गत उन नगर निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरुस्कार वितरि किया जायेगा।</p>		<p>इससे निकाय क्षेत्र कूड़े कचरे का स्वरूप प्रबन्धन होगा। जैविक व अजैविक अपशिष्ट का उचित उपचार पुर्नचक्रीकरण करते पुर्नउपयोग जोयगा तथा वैज्ञानिक एंव सुरक्षित विधि निस्तारित जायेगा।</p>

		उपचार, अजैविक अपशिष्ट व पुनर्चक्रीकरण एवं पुनर्उपयो तथा शेष ब अपशिष्ट व वैज्ञानिक भू-भरण कर निकाय क्षे को स्वच रखने व प्रयास करेगे ।				
	2217— 3—191— 03—030 —20 नगरीय अवस्थाप ना सुविधाअ का विकास	प्रश्नगत् धनराशि व उपयोग म मुख्यमंत्री समेकित अवस्थापना विकास योजन के अन्तर्ग स्वीकृत परियोजनाओं के लिये किए तथा नगरीय निकायों अवस्थापना विकास योजन के अन्तर्ग धनराशि अवमुक्त व जायेगी ।	668.0 0	स्थानीय निकायो झेनेज, वर्षा जलदोहन, ठो अपशिष्ट प्रबन्धन व व्यवस्था तथा अन्य अवस्थापकीय सुविधाओं व विकास किया जायेगा ।	शहरों के विकास लिए केन्द्र सहाय एंव वाह्य सहाय योजनाओं के संचय के बाचजूद विकास कई ऐसे क्षेत्र हैं, इन योजनाओं से इन आच्छादित हो पाये हैं और न ही राज्य सभी नगरों को योजनाओं का लाभ	

	2217— 91—97— 9701—1 (बाह्य सहायता) नगरीय अवस्था ना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	ADB सहयोग से 3 शहरों नगरीय अवस्थाना जै सीवरेज, वॉटर सप्लाई तथा स्लम व सुदृढ़ीकरण विकास किये जायेगा।	10000 .00	इस परियोजना अन्तर्गत चिट्ठिन 31 नगरों में सड़क, सीवरेज व ड्रेनेज का निर्माण किया जायेगा।	नगरों में आवास सुविधा का विकास होगा।
	2217— 01—08— 42 व 10 परियोजनाओं की प्रारंभिक तैयारियाँ एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु	जै0एन0एन0 0आर0एम0 योजनान्तर्गत DPR तैयार करने एवं रि-फॉर्म व लागू किये जाने हेतु विषेशज्ञों व सेवायें प्राप्त करने हेतु किया जायेगा।	39.50	विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयारना।	विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयारना।
	2217— 3—088— 04—22 कंप्युटरा जेशन	राज्य व निकायों कंप्युटराईजेशन एण्ड जी.आई. एस. सेवा	25.00	इससे सम्पत्तियों का निर्धारित वास्तविक किया जा सकेगा।	सम्पत्तियों विद्युतीकरण होगा तदनुसार पालिकाये अधिकारी कर सकती है। जि

	एण्ड जी आई.एस				आय का सजून साथ ही नगर अन्दर होने आवश्यक वि कार्यों के योजनाये तैयार क रही है।
	राजीव आवास योजना	31 शहरों नगरीय अवस्थाना जै सीवरेज, वॉट सप्लाई तथ स्लम व सुदृढ़ीकरण विकास किए जायेगा।	100.0 0	63 नगर निकायों स्लमों के सर्वेक्षण का का कराया जाना है।	63 नगर निकायों स्लमों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने राज्य सरकार टेन्योर राइट उप कराने के बाद अभीन गरीबों के आवासों का निकाय किया जायेगा।
	2217— 3—191— 03—030— —20 व 42 नगरीय क्षेत्रों में सार्वभौम रोजगार योजना	राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अन्तर्गत शहरी बेरोजगार पान लाभार्थियों को स्व.रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों व माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें अधिकतम रु0 15000 का	4.85	1062 लोगों के स्व.रोजगार स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।	इसके माध्यम शहरी बेरोजगारों अपना निजी व्यवस स्थापित कर स्वावल मना।

		अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाता है।			
--	--	--	--	--	--

बिन्दु संख्या:- 3 विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल (**Initiatives**)

1—निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना।

स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये उनके द्वारा अधीरोपित करों के निर्धारण एवं उनकी वसूली प्रक्रिया में व्यापक सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगर निकाय अधिकतम राजस्व वसूली कर सकें, जिसके अन्तर्गत जी0आई0एस0 या अन्य अति आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करते हुए भवन कर को वसूल किये जाने की प्रणाली विकसित करने की योजना है।

2—A राज्यों के सभी शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा सिटी सैनिटेशन योजना के माध्यम से पूर्ण रूप से स्वच्छ तथा खुला शौच मुक्त बनाना।

सम्पूर्ण राज्य की नगर निकायों में कूड़े कचरे के उचित प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (प्रबन्धन एंव हथालन) नियम, 2000 तथा राष्ट्रीय स्वच्छता नीति, 2008 के अनुरूप सिटी सैनिटेशन प्लान बनाये जाने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय निकायों द्वारा कार्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार 4—5 शहरों के कलस्टर में कचरे के प्रबन्धन/सैनिटरी लैंडफिल की व्यवस्था जिलाधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

2—B सभी नगरों की सीवरेज तथा ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु मास्टर प्लान तैयार कर क्रियान्वित किया जाना।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र पोषित/एडीबी सहायतित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न नगरों में जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज आदि कार्य कराये जायेंगे। अवशेष गैप्स की पूर्ति पेयजल विभाग, जो कि इन योजनाओं हेतु उत्तरदायी विभाग है, की केन्द्र पोषित/राज्य सैक्टर एंव वित्त आयोग की योजनाओं से किया जायेगा।

3—राज्य के शहरों को मलिन बस्ती मुक्त बनाना।

राज्य में घोषित तथा अघोषित 571 मलिन बस्तियों में कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख है। जिनके लिये लगभाग 1.40 लाख पक्के आवासों की आवश्यकता है। वर्तमान में केन्द्र पोषित योजनायें बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी योजनाओं के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 10 परियोजनायें संचालित हैं तथा 23 नवीन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। उक्त समर्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 6738 आवासों का निर्माण किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा देहरादून नगर का चयन राजीव आवास योजना के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें 02 लाख की जनसंख्या हेतु लगभग 29,000 आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

4—निकायों में अवस्थापना विकास कार्य हेतु वित्तीय साधन जुटाना। अवस्थापना विकास कार्यों में पी०पी०पी० मोड़ को विशेष प्राथमिकता देना।

अवस्थापना विकास कार्यों हेतु संसाधनों की कमी को दृष्टिगत् रखते हुए पी०पी०पी० मोड़ में उक्त कार्यों को करने पर विशेष जोर दिया जायेगा।

5—स्ट्रीट लाईट विद्युत बिलों के वित्तीय भार से निकायों को मुक्त कराया जाना

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार सभी विद्युत बिलों में सरचार्ज/सेस लगवाकर स्थानीय निकायों को स्ट्रीट लाईट बिलों के भार से मुक्त किया जाना।

6—स्थानीय निकायों का गठन/वर्गोत्थान।

राज्य की सभी

निकायों में वर्गोत्थान के लिये शासन द्वारा मानक निर्धारित कर दिये गये हैं। निकायों को मानकों के आधार पर निगमों/नगर पालिका परिषद् श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3, श्रेणी-4 तथा नगर पंचायत में वर्गोत्थानित किया जायेगा। जो ग्राम नगर के रूप में विकसित हो गये हैं उन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा।

7—74वें संविधान संशोधन के अनुसार निकायों को व्यापक अधिकार प्रदान कर स्वायत्तशासी बनाना।

उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय अधिनियम का प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जिसमें 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप निकायों के व्यापक अधिकार दिये जाने तथा तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान भी है। भारत सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत अपेक्षित सुधारों, जिसमें 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत व्यापक अधिकारी भी सम्मिलित हैं, को सभी निकायों में लागू कराया जाना।

8—नगर निकायों में सुधार आधारित मुख्यमंत्री समेकित विकास योजना लागू कर नगरों में सभी आधारभूत पर्याप्त नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

1—मुख्यमंत्री समेकित शहरी अवस्थापना विकास योजना के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जन शैक्षालयों, स्नानगृह एवं अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापना, ड्रैनेज, वर्षा जल दोहन एवं आपदा प्रबन्धन/निराकरण सम्बन्धी अवस्थापकीय कार्य कराये जाना।

2—प० दीनदयाल उपाध्याय शहरी वायबिलिटी गैप योजना के अन्तर्गत आयपरक गतिविधियों तथा—कार पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, पार्कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, स्लास्टर हाउस, सामुदायिक भवन/आडिटोरियम तथा अन्य ऐसी योजनायें जो स्थानीय भौगोलिक एवं जनसुविधाओं के दृष्टिगत आवश्यक हो, ली जायेगी। पीपीपी के अन्तर्गत निकायों के आय सृजन को भी दृष्टिगत् रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पीपीपी सेल के सहयोग से वाएबिलिटी गैप फण्डिंग करते हुए सहायता प्रदान की जायेगी, ताकि वर्ष 2020 तक सभी निकायों में उपरोक्तानुसार सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

3—शहर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने हेतु प्रोत्साहन स्वरूपम मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरुस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है। निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक वर्ष न्यूनतम निर्धारित स्वच्छता स्तर प्राप्त करने के प्रतिबन्ध के अधीन सर्वश्रेष्ठ नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रेटिंग प्राप्त करने वाले नगर निकायों को प्रत्येक वर्ष विशेष अनुदान इस योजना के अन्तर्गत दिया जायेगा।

बिन्दु संख्या :-4

योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति के सम्बन्ध में सूचना (वर्ष 2010-11)

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	बजट		आउटपुट		आउटपुट के सापेक्ष उपत्यकी
		प्लान	प्लान	प्लान	प्लान	
		प्लान	प्लान	प्लान	प्लान	

2217-03-191 -01-0101-20 वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायतित)	<p>यह एक केन्द्र पुरोधानित योजना है जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश व अनुपात 90:10 है। संशोधित स्व जयन्ती शहरी रोजगार योजना दिशा-निर्देश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 प्रभावी है।</p> <p>उद्देश्य</p> <p>संशोधित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उद्देश्य इस प्रकार है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • शहरी बेरोजगारों अथवा अत रोजगार गरीबों को उनके भरण-पोष के लिए सहायता मुहैया कराक स्व-रोजगार उद्यम (व्यक्तिगत या समूह स्थापित करना अथवा मजदूरी रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके लाभप्रद रोजगार के माध्यम शहरी गरीबी उपशमन करना। • कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता करना ताकि शहरी गरीब बाजार द्वारा दिए गए रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें अथवा स्व-रोजगार शुरू कर सकें। 	67.71	67 77	परि योज न्तग त 633 स्व: रोज राल ार्थी संख्य ,	1598 प्रशिक्ष ण लाभ ी स तथा 7740 1 मानव दिवस सृजन त किये गये

2217-03-800 -01-0102-20 नम लागत के यक्तिगत शौचालय (केन्द्र सहायतित)	स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों स्थानीय स्थिति के अनुरूप समुचित परिवर्तन करके (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय तथा अधिसंरचनाओं सहित दो गड्ढ वाले जल वाही शौचालयों का निर्माण करके और जहां ईडब्यूएस परिवारों के पास में कोई शौचालयों नहीं है व खुले में मल त्याग की प्रथा मौजूद है, वह नए शौचालयों का निर्माण करके कलागत की सफाई यूनिटों के निर्माण/परिवर्तन करना है। इससे करने में समग्र सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा।	147.0	0.0	79 0 यूनि ट शौच लय ो का निर्मा ण
2217-03-800 -01-0105-20 पाष्ठीय शहरी विकास मिशन (NURM) केन्द्र सहायतित	भारत सरकार द्वारा संचालित इयोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन मिशन शहर देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, में तीव्रगार्भ नियोजित विकास को प्रोत्साहित करने हैं जिसमें शहरी इंफास्ट्रक्चर में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति जैसे:- जलापूर्ति, मलवेयन, और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सङ्कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण पुरातत्व क्षेत्रों आदि के विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान देना।	1877.21	0.0	देहरादून नगर के लिये 17 नल कूप, 17 जल शय 15 पम्प हाउसों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा

11
चौरा
हो व
देहर
टून
सीव
रेज
का
कार्य
प्रगा
त
पर।
हरि
द्वार
नगर
के
लिये
17
नल
कूप,
8
जल
शय
व ६
Inf
iltr
ati
on
we
lls
का
निर्मा
ण
कार्य

पूर्ण
तथा
8
चौरा
हो
का
कार्य
प्रगति
त पर
नैनी
ताल
नगर
के
लिये
3
ट्यूब
वैल,
2
उथ
ला,
1
गहरे
नल
कूप
का
निर्मा
ण
कार्य
पूर्ण,
2
जल
शोध
न
संय

त्रों
का
निर्मा
ण
किय
ा
जान
ा
प्रस्त
ावित
व
नैनी
ताल
सीव
रेज
का
निर्मा
ण
कार्य
पग्गि
त
पर
145
बसे
प्राप्त
हो
गयी
है
जिन
का
संचा
लन
उत्ता
राख
ण्ड

					परिव हन निग म द्वारा किय ा ज रहा है।
2217-03-191 -01-0102-20 भावास एवं लिन बस्ती सुधार IHSDP)(केन्द्र नहायतित)	भारत सरकार द्वार संचालित य परियोजना राज्य के चयनित मिश शहरों को छोड़कर राज्य के अन्य सभ शहरों/कस्बों के लिये लागू है। इ परियोजना के अन्तर्गत उन स्ल वासियों, जिनके पास आश्रय नही तथा जीर्ण-शीर्ण दशाओं में रहते है विदशाओं में सुधार करने के लिये ए दृष्टिकोण अपनाते हए लाभ इ परियोजना के अन्तर्गत मिलेगा।	6078 52	13 50	52 1 भवन ै क निर्मा ण कार्य पूर्ण तथा 141 6 भवन ै क निर्मा ण कार्य प्रगत पर है।	

2217-03-800 -01-0104-42	भारत सरकार द्वारा संचालित योजना उत्तराखण्ड राज्य के चयनितीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल हरिद्वार, को छोड़कर राज्य के अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू है। इसके द्वारा इन नगरों में तीव्रगार्भ नियोजित विकास को प्रोत्साहित करने हैं जिसमें शहरी इंफास्ट्रक्चर में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति जैसे:- जलापूर्ति मलवेयन, और ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण पुरातत्व क्षेत्रों का आदि के विकास पर्याप्त ध्यान देना ।	3187 33	0.0 0	1 कि0 मी0 पाई प बिछ ने का कार्य पूर्ण एवं 27 कि0 मी0 पाई प लाई न बिछ ने का कार्य प्रगत पर।
----------------------------	---	------------	----------	---

2217-03-800 -01-0106-20 सिक्सिक सर्विस गॉर अर्बन पुअर BSUP) NURM के नन्तर्गत केन्द्र महायतित)	परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन मिशन शहर देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधा जैसे:- बेहतर आवास / समेकि विकास, / जलआपूर्ति - सफाईसुविधा सहित बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लविहीन शहरों के लिये प्रयास करना है।		4461 07	90 67	37 भवन का निर्मा ण कार्य पूर्ण तथा 137 भवन का निर्मा ण कार्य प्रगत पर है।
---	--	--	------------	----------	---

2217–03–800 –01–0106–20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP) (NURM के अन्तर्गत केन्द्र सहायतित)	परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन मिशन शहर देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधा जैसे:-बेहतर आवास/समेकि विकास,/जलआपूर्ति- सफाईसुविधा सहित बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लविहीन शहरों के लिये प्रयास करना है।		4461 07	90 67		
2217–03–191 –03–0302–42 मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	निकायों में सृजित मौहल्ला स्वच्छता समिति को मानदेय के भुगतान एवं सफाई उपकरण के क्रय हेतु दिया जायेगा।		23.00	0.00		

2217-03-191 -03-0303-20 (UA-URIF) उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि	योजना के अन्तर्गत उन नगर निकायों को प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिवर्श पुरुस्कृत किया जाएगा, जिनके द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जौविक अपशिष्ट का उपचार, अजैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रीकरण एवं पुर्नउपयोग तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू-भर करके निकाय क्षेत्र को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे।		145.00	0.00		
2217-03-191 -03-0305-20 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	प्रजगति धनराषि का उपयोग माझे मुख्यमंत्री समेकित अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिये किया तथा नगरीय निकायों में अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत धनराषि अवमुक्त व जायेगी।		820.15	73.15		
2217-191-97 -9701-16 (बाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	ADB के सहयोग से 31 ग्रामों में नगरीय अवस्थाना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई तथा स्लम का सुदृढ़ीकरण व विकास किया जायेगा।		1150.6.3	300.3.71		
37 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 137 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।			1799 भवनों का निर्माण करते हुए स्लम विहीन नगरों का विकास किया	4500		

मौहल्ला स्वच्छता समिति को भुगतान किया जायेगा एवं उपकरण क्रय जायेगा।		जायेगा। जिससे शहरी गरीबों लिये किफायती कीमतों टेन्योर व सूरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई सुविधा सहित बुनियादी सेवाओं व प्रावधान और शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा व फायदा होगा।	नगर निका यो में प्रत्येक घरों से कूड़ा एकत्रि त करने	0.00		

की
व्यवस्था
से
वहाँ
के
निवा
सरत
लोग
लाभार्चि
चत
होंगे।

इसके अन्तर्गत
उन नगर
निकायों को
प्रोत्साहन स्वरूप
पुरुस्कार
वितरित किया
जायेगा।

स्वच्छता
के लिये
नगर निकायों
को पुरुस्कृत कर
नगर निकायों में
प्रतिस्पर्धा उत्पन्न
करना।
जिस से निकाय के

17
00

			क्षेत्र लाभार्थी न्वत होंगे ।		
नगरीय निकायो में अवस्थापना विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती हैं			नगर प्रीय अवस्था गाना में विका स किया जायेग ॥ जिस से नगरी य क्षेत्रों में खराब नाले व सड़क ो का विका स होगा । जिस से ड्रेनेज सुविधा त सुदृढ़ होगी ।	0.00	

देहरादून,
नैनीताल एवं
हरिद्वार में
सीवरेज पाइप
लाईन का
निर्माण कार्य
किया जा रहा
है।

देहर
ादून,
नैनीत
ाल
एवं
हरिद्वा
र में
सीवरे
ज
पाइप
लाईन
का
निर्माण
कार्य
किया
जा
रहा
है।

0.0
0

राजीव आवास
योजना की
प्रारम्भिक तैयारी
प्रारम्भ

0.0
0

इस वर्ष इस
मद में कोई
व्यय नहीं हुआ।

0.0
0

शहरी विकास
योजना अनुश्रवण
परिषद् के माठ
उपाध्यक्ष के
कार्यालय के
अनुसांगित का
भुगतान किया गया

0.0
0

इस वर्ष इस
मद में कोई
व्यय नहीं हुआ।

13
35

इस वर्ष इस
मद में कोई
व्यय नहीं हुआ।

25
00

वेतन
आविके
भुगतानके
लिये
आथि

कि
सहा
यता
दी
गयी
।

विगत् वर्ष
समाप्त हुये
कुम्भ मेले के
लिये स्थापित
अधिष्ठान द्वारा
किये जा रहे
अवशेष कार्यों
का अनुश्रवण
किया जा रहा
है।

कोई धनराशि
अवमुक्त नहीं
की गयी ।

वर्ष
में दो
बार
लगने
वाले
कांवड
मेला,
सोमव
ती
अमाव
स्या
स्नान
पर्व,
पूर्णिम
।
स्नान,
शिवरा
त्रि,
बैशाख
ी,
गंगा
दशह
रा,
निर्ज
ला
एकाद
शी,
चारधा
म
यात्रा
का
सुचा
र्क
संचा
लन ।

हरिद्वार कुम्भ
2010 में 140 से
अधिक देशों के
लोगों द्वारा
स्नान किये
जाने, वर्ष में दो
बार लगने वाले
कांवड मेला,
सोमवती
अमावस्या स्नान
पर्व, पूर्णिमा
स्नान, शिवरात्रि,
बैशाखी, गंगा
दशहरा, निर्जला
एकादशी,
चारधाम यात्रा,
अर्द्धकुम्भ एवं
कुम्भ के
दृष्टिगत
मंत्रिमण्डल द्वारा
मेला प्राधिकरण
के गठन पर
सैद्वान्तिक
सहमति व्यक्त
करते हुए इसके
गठन के सम्बन्ध
में अग्रेत्तर
कार्यवाही
यथाप्रक्रिया
शीघ्रातिशीघ्र
प्रारम्भ किये

जाने के निर्देष
दिये गये।
कुम्भ-2010 मेले
में हुए
अवस्थापना के
कार्यों का
संरक्षण, तीर्थों
का
सौन्दर्यकरण,
हरिद्वार,
ऋषिकेश-मुनि
कीरती एवं
नीलकंठ में होने
वाले समस्त
मेलों का
आयोजन एवं
उक्त मेलों हेतु
अवस्थापना
सुविधायें
विकसित करने
सम्बन्धी कार्य
उक्त मेला
प्राधिकरण का
गठन किया
गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित स्थानीय निकायों की सूची

क्र. सं.	जनपद का नाम	स्थानीय निकाय का नाम/पता
1	देहरादून	नगर निगम देहरादून
2		नगर पालिका परिषद विकासनगर
3		नगर पालिका परिषद मसूरी
4		नगर पालिका परिषद ऋषिकेश
5		नगर पंचायत हर्बटपुर
6		नगर पंचायत डोईवाला
7	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद हरिद्वार
8		नगर पालिका परिषद रुडकी
9		नगर पालिका परिषद मंगलौर
10		नगरपंचायत झाबरेडा
11		नगर पंचायत लक्सर

12		नगर पंचायत लण्डौरा
13	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी
14		नगर पंचायत बड़कोट
15		नगर पंचायत गंगोत्री
16		नगर पालिका परिषद चमोली—गोपेश्वर
17	चमोली	नगर पालिका परिषद जोशीमठ
18		नगरपंचायत बद्रीनाथ
19		नगर पंचायत नन्दप्रयाग
20		नगर पंचायत गौचर
21		नगर पंचायत कर्णप्रयाग
22		नगर पालिका परिषद टिहरी
23	टिहरी	नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर
24		नगर पंचायत चम्बा
25		नगर पंचायत किर्तिनगर
26		नगर पंचायत देवप्रयाग
27		नगर पंचायत मुनीकीरेती
28	रुद्रप्रयाग	नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग
29		नगर पंचायत केदारनाथ
30	पौडी	नगर पालिका परिषद पौडी
31		नगर पालिका परिषद श्रीनगर
32		नगर पालिका परिषद दुगड़ा
33		नगर पालिका परिषद कोटद्वार
34	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़
35		नगर पंचायत धारचूला
36		नगर पंचायत डीडीहाट
37	चम्पावत	नगर पालिका परिषद टनकपुर
38		नगर पंचायत चम्पावत
39		नगर पंचायत लाहोघाट
40	अल्मोड़ा	नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा
41		नगर पंचायत द्वाराहाट
42	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद बागेश्वर
43	नैनीताल	नगर पालिका परिषद नैनीताल
44		नगर पालिका परिषद रामनगर
45		नगर पालिका परिषद भवाली
46		नगर पालिका परिषद हल्द्वानी
47		नगर पंचायत कालाडुगी
48		नगर पंचायत लालकुंआ
49		नगर पंचायत भीमताल

50	उद्यमसिंह नगा	नगर पालिका परिषद गदरपुर
51		नगर पालिका परिषद जसपुर
52		नगर पालिका परिषद काशीपुर
53		नगर पालिका परिषद बाजपुर
54		नगर पालिका परिषद रुद्रपुर
55		नगर पालिका परिषद किछ्छा
56		नगर पा० परिषद सितारगंज
57		नगर पालिका परिषद खटीमा
58		नगर पंचायत महुवाडावरा
59		नगर पंचायत महुआखेडागंज
60		नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी
61		नगर पंचायत केलाखेडा
62		नगर पंचायत दिनेशपुर
63		नगर पंचायत शक्तिगढ

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – दस	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबन्धित हो।
मैनुअल – ग्यारह	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विषिशिट्यां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक

	अभिकरण को आवंटित बजट।
मैनुअल – बारह	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि का ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।
मैनुअल – तेरह	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – दस	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबन्धित हो।
मैनुअल – ग्यारह	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।
मैनुअल – बारह	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि का ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।
मैनुअल – तेरह	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ।

विषय–सूची

क्रम संख्या	विषय
1	प्रस्तावना
	मैनुअल – दस
1.	निदेशालय में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
2.	प्रतिकर प्रणाली
3.	केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
4.	केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिकर प्रणाली
	मैनुअल – ग्यारह
1.	शहरी विकास निदेशालय के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत योजनायें
2.	स्वीकृत बजट का विवरण
3.	शहरी विकास निदेशालय से सम्बद्ध अभिकरण अथवा संस्था
4.	शासनादेश संख्या – 2533/रा०वि०आ०/वि० अनु०-१ दिनांक 26-12-2003
5.	अवस्थापना विकास एवं मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार अवस्थापना विकास हेतु स्वीकृत धनराशि व योजनायें
6.	स्वीकृत योजनाओं व धनराशि की सूची

	मैनुअल – बारह
1.	सहायिकी कार्यक्रम
	मैनुअल – तेरह
1.	रियायतों, अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियां

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल—दस

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा—4 (1) (ख) (x) में निर्देशित}

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक,
जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा
उपबन्धित हो।

निदेशालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
शहरी विकास निदेशालय के लिए स्वीकृत 44 पदों के सापेक्ष 19 अधिकारी/कर्मचारी
कार्यरत हैं। इन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक निम्नानुसार हैः —

क्र म सं०	अधिकारी/कर्मचा री का नाम	पदनाम	वेतनमान	मा पारि (मा 20
1.	श्रीमती निधिमणी त्रिपाठी आई०ए०एस०	निदेशक	आई०ए०ए स० संवर्गानुसार	निदे से वे आहर नहीं है
2.	श्री हर्ष वर्धन मिश्रा	उप निदेशक	10000- 15200	220 00
3.	श्री सुभाष गुप्ता	उप निदेशक	10000- 15200	220 00

4.	श्री बृजमोहन सिंह चौहान	लेखाधिका री		
5.	श्री पुरुषोत्तम भट्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		
6.	श्री राकेश मालगुडी	सहायक लेखाकार	5000- 8000	110 00
7.	श्री विनय नेगी	लेखाकार	5000- 8000	
8.	श्री गजेन्द्र सिंह कोरंगा	मुख्य सहायक	4500- 7000	110 00
9.	कु0 पुष्पा चौधरी	मुख्य सहायक	4500- 7000	110 00
10. .	श्री राजेन्द्र आर्य	मुख्य सहायक	4500- 7000	850
11. .	श्री कालिका प्रसाद भट्ट	प्रवर सहायक	3050- 4590	805
12. .	श्री के0 एन0 पाठक	सहायक लेखाकार	4500- 7000	863
13. .	श्री राम प्रकाश	प्रवर सहायक	4000- 6000	724
14. .	श्री सुशील डंगवाल	प्रवर सहायक	4000- 6000	723
15. .	श्री सुनील कुमार	कनिष्ठ सहायक	2550- 3200	636
16. .	श्री सियाराम	वाहन चालक	3050- 4590	656
17. .	श्री रमेश काण्डपाल	वाहन चालक	3050- 4590	656

18 .	श्री चन्द्रपाल	चपरासी	2550- 3200	636
19 .	श्री रमेश रावत	चपरासी	2550- 3200	747

प्रतिकर प्रणाली

निदेशालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधिकारी / कर्मचारियों की भाँति निम्न प्रतिकर की सुविधायें अनुमन्य हैं: –

- (क) पेन्शन
- (ख) राशिकरण
- (ग) ग्रेच्युटी
- (घ) सामूहिक जीवन बीमा

(ड.) निधन अथवा सेवा निवृत होने पर उपार्जित अवकाश नगदीकरण
केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
 केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को स्थानीय नगर निकायों की निधि से निकायों द्वारा मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है और भुगतान का विवरण स्थानीय नगर निकायों में ही रखा जाता है। निदेशालय स्तर पर इन कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान की ही जानकारी उपलब्ध रहती है जो निम्नानुसार है: –

	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदना म	तैनाती स्थान	वे तन मान
	एन0के0 पाण्डे	उप नगर अधिका री	नगर निगम, देहरादून	10 000 - 152 00
	हर्षवर्धन मिश्रा	उपनि देशक	निदेशालय	10 000 - 152 00
	सुभाष गुप्ता	उपनि देशक	निदेशाल य	10 000 - 152 00
	विचित्र सिंह पंवार	सहाय क निदेश क	निदेशालय	80 00- 135 00
	नीरज जोशी	तदैव	न0पा0 नैनीताल	80 00-

				135 00
	पी०ए०स० रावत	तदैव	न०पा० रुड्की	80 00- 135 00
	मिट्ठन लाल शाह	अधि० अधिका री	न०पा० टिहरी	32 00- 490 0
	भगवती प्रसाद कपरवाण	तदैव	न०पा०जोश मीमठ	45 00- 725 0
	रमेश प्रसाद सेमवाल	तदैव	न०पा०प० श्रीनगर	32 00- 490 0
	बाला दत्त जोशी	तदैव	चम्पावत	32 00- 490 0
	खीमानन्द जोशी	तदैव	न०पा०प० पिथौरागढ़	32 00- 490 0
	डी०पी० भट्ट	तदैव	न०पा०प० ऋषिकेश	32 00- 490 0

	रमेश पन्त	तदैव	न०पा० अल्मोड़ा	32 00- 490 0
	के०आर० टम्टा	तदैव	न०प०भीम ताल	32 00- 490 0
	रिक्त	तदैव	न०प०नन्द प्रयाग	32 00- 490 0
	नरेन्द्र कुमार	तदैव	न०पा० रुद्रपुर	32 00- 490 0
	भजन लाल आर्य	तदैव	नगर निगम देहरादून	32 00- 490 0
	रिक्त	तदैव	नप०चम्बा	32 00- 490 0
	दलीप कपूर	तदैव	गदरपुर	32 00- 490 0
	नजर अली	तदैव	काशीपुर	32 00-

				490 0
	संजीव मेरोत्रा	तदैव	महुआखेड़ा गज	32 00- 490 0
	एस०पी० जोशी	तदैव	न०पा० विकासनगर	32 00- 490 0
	सुनील अग्रवाल	तदैव	न०पा० मंगलौर	32 00- 490 0
	दलीप कपूर (अति०)	तदैव	दिनेशपुर	32 00- 490 0
	त्रिलोक पाल आर्य (निल०)	तदैव	न०प०द्वारा हाट	32 00- 490 0
	श्रीमती सरिता राणा	तदैव	न०पं० डोईवाला	32 00- 490 0
	एल०एम० दास	तदैव	खटीमा	32 00- 490 0

	बद्रीप्रसाद	तदैव	न०पा०प० पौड़ी	32 00- 490 0
	शेखर चन्द जोशी	स०परि 0 अधिका री	न० प० लोहाघाट	-
	श्रीम० राजू नवियाल	स०परि 0 अधिका री	लालकुंआ	30 50- 459 0
	शांती प्रसाद भट्ट	लिपि क	न०पा०प० गोपेश्वर	45 00- 700 0
	जयवीर राठी	तदैव	न०पा० किछ्छा	32 00- 490 0
	नथुलाल कौली	वर्कए जेन्ट	न०पा० सितारगंज	32 00- 490 0
	प्रकाश चन्द्र फोनिया	अधि० अधिका री	न०पा०उ० तरकाशी	32 00- 490 0

	दिनेश चन्द्र पंत	तदैव	न०प० बडकोट	32 00- 490 0
	प्रमोदपुरी	तदैव	न०प०लक सर	32 00- 490 0
	जीवन्ती जोशी	तदैव	न०प०धार चुला	30 50- 459 0
	रवि पाण्डे	अधि० अभियन्ता	नगर निगम देहरादून	10 000 - 152 00
	आनन्द प्रकाश	सहाय क अभि०	मसूरी	45 00- 700 0
	हरीश चन्द जोशी	तदैव	नगर निगम देहरादून	45 00- 700 0
	रविन्द्र सिंह नेगी	तदैव	रामनगर	45 00- 700 0
	जयप्रकाश	तदैव	मसूरी	45

	रत्नेंद्री			00- 700 0
	जगमाल सिंह त्यागी	तदैव	नगर निगम देहरादून	45 00- 700 0
	दिनेश शर्मा	नगर अभियन्ता	नगर निगम देहरादून	45 00- 700 0
	पवन कुमार	तदैव	पौडी	45 00- 700 0
	दिनेश उनियाल	तदैव	नगर निगम देहरादून	45 00- 700 0
	कमल सिंह रावत	तदैव	काशीपुर	45 00- 700 0
	ईश्वरी सिंह	तदैव	नैनीताल	45 00- 700 0
	चन्द्रकांत गुप्ता	तदैव	दुगड़डा	45 00- 700

				0
	रविन्द्र सिंह पंवार	तदैव	जोशीमठ	45 00- 700 0
	डिगर सिंह मेहरा	तदैव	हल्द्वानी	45 00- 700 0
	हर्षवर्धन सक्सैना	डाप्समै न	नगर निगम	45 00- 700 0
	सहेन्द्र सिंह नेगी	तदैव	तदैव	45 00- 700 0
	गुलाब सिंह पंवार	तदैव	विकासनग र	45 00- 700 0
	रमेश बिष्ट	तदैव	टिहरी	45 00- 700 0
	रंजित कुमार	तदैव	ऋषिकेश	45 00- 700 0
	आनन्द	अवर	नरेन्द्र	45

	सिंह मिश्रवाण	अभिन्नो	नगर	00- 700 0
	वेदप्रकाश बधानी	तदैव	नगर निगम देहरादून	45 00- 700 0
	अनिल नेगी	तदैव	श्रीनगर	45 00- 700 0
	लक्ष्मण सिंह बोहरा	तदैव	टनकपुर	45 00- 700 0
	महेन्द्र सिंह बिष्ट	तदैव	सितारगंज	45 00- 700 0
	उमेश अवस्थी	तदैव	पिथौरागढ़	45 00- 700 0
	विनोद थपलियाल	तदैव	रुडकी	45 00- 700 0
	प्रेमकुमार शर्मा	तदैव	रुद्रपुर	45 00- 700

				0
	राजीव चौहान	अवर अभिय (स्थानी य व्यवस्था)	गौचर	
	अब्दुल रउफ	वर्क्सु परवाई जर	हरिद्वार	45 00- 700 0
	महेन्द्र कुमार यादव	कर एवं राजस्व निरीक्ष क	काशीपुर	32 00- 490 0
	अशोक कुमार गुप्ता	तदैव	हरिद्वार	32 00- 490 0
	लहरी सिंह	तदैव	हरिद्वार	32 00- 490 0
	तेजपाल वर्मा	तदैव	रुडकी	32 00- 490 0

	मनोज कुमार दास	तदैव	हल्द्वानी	32 00- 490 0
	सुनीता सक्सैना	तदैव	रामनगर	32 00- 490 0
	श्यामसुन्द र प्रसाद	तदैव	टिहरी	32 00- 490 0
	अनिल कुमार शर्मा	तदैव	ऋषिकेश	32 00- 490 0
	ईश्वर सिंह	तदैव	नैनीताल	32 00- 490 0
	संजय मेहरोत्रा	मोहरि र	काशीपुर	32 00- 490 0
	भुवनचन्द काण्डपाल	मोहरि र	रुद्रपुर	32 00- 490 0
	सुरेश चन्द गुप्ता	लेखा कार	ऋषिकेश	45 00-

				700 0
	ओम प्रकाश आर्य	लेखा कार	नगर निगम	45 00- 700 0
	रमेश चन्द शर्मा	लेखा कार	रुडकी	32 00- 490 0
	अजहर अली	कर एवं राजस्व अधीक्ष क	नगर निगम	45 00- 725 0
	दरबान सिंह	तदैव	मसूरी	45 00- 725 0
	उत्तर सिंह नेगी	तदैव	ऋषिकेश	45 00- 725 0
	चन्द्रपाल सिंह	तदैव	हल्द्वानी	45 00- 725 0
	राजेश कुमार	तदैव	नगर निगम	50 00-

	नैथानी		देहरादून	800 0
	सुशील कुमार कुरील	तदैव	नगर निगम	45 00- 725 0
	संजय कुमार	तदैव	हल्द्वानी	40 00- 600 0
	बचन सिंह जयाडा	जो0से 0 अधिक परी	नगर निगम	65 00- 105 00
	आर0के0 अग्रवाल	सफाई एवं खाद्व निरीक्ष क	रुडकी	45 00- 700 0
	श्री श्योराज सिंह	स0निर ीक्षक	नगर निगम	45 00- 700 0
	बलराम सिंह (पुनर्नियुक्त ।)	तदैव	हरिद्वार	45 00- 700 0
	चरण	तदैव	नैनीताल	45

	सिंह			00- 700 0
	रतन लाल	स0नि 0 स्थानी य व्यवस्था	हल्द्वानी	45 00- 700 0
	जगदीश चन्द	स0नि 0 स्थानी य व्यवस्था	काशीपुर	45 00- 700 0
	गिरिशचन् दपाण्डे	वैकसी नेटर	हल्द्वानी	45 00- 700 0
	विरेन्द्र बिष्ट	वैकसी नेटर	मसूरी	40 00- 600 0
	खुशीराम डोभाल	सफाई नि0	उत्तरकाश	45 00

केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिकर प्रणाली

केन्द्रीयत सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति प्रतिकर की निम्न सुविधायें अनुमन्य हैं: —

(क) पेन्शन

(ख) राशिकरण

- (ग) ग्रेच्युटी
- (घ) सामूहिक जीवन बीमा
- (ङ.) निधन अथवा सेवा निवृत होने पर उपार्जित अवकाष नगदीकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) (xi) में निर्देशित}

मैनुअल – ग्यारह

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल—ग्यारह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (xi) में निर्देशित}

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

शहरी विकास निदेशालय के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत योजनाएं

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल—तेरह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा—4 (1) (ख) (xiii) में निर्देशि

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ।

शहरी विकास निदेशालय द्वारा किसी प्रकार की ऐसी योजना या परियोजना संचालित नहीं की जा रही है जिसमें लाभार्थियों को रियायत दी जा रही हो एवं न ही शहरी विकास निदेशालय द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं। कतिपय व्यवसायों के लिए नगर निकायों द्वारा लाइसेंस/अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं जिसका विवरण सम्बन्धित नगर निकायों के कार्यालय में ही उपलब्ध रहता है।
